



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928

No. 559]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

कंपनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 712(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 38क की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
(क) “अधिनियम” से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) अभिप्रेत है;
(ख) “अनुमोदित प्ररूप” से इन नियमों के अधीन किसी विशिष्ट प्रयोजन के उपयोग लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप अभिप्रेत है:
परन्तु यह कि यदि कोई प्ररूप इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् अभी तक परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ है तो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व उसी प्रयोजन के लिए अधिकथित समुचित प्ररूप अनुमोदित प्ररूप होगा;
(ग) “रिटर्निंग आफिसर” से अधिनियम की धारा 16 के अधीन नियुक्त परिषद् का सचिव या, सचिव का पद रिक्त होने की स्थिति में निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा पदाभिहित संस्थान का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** — धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसरण में परिषद् के गठन के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ऐसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से मिलकर बनेंगे जो इन नियमों की अनुसूची 1 में सूचिबद्ध हैं ।
4. **निर्वाचनों की तारीखें** — (1) परिषद् का निर्वाचन परिषद् द्वारा अवधारित तारीख या तारीखों को किया जाएगा, जो किसी भी स्थिति में, विद्यमान परिषद् के कार्यकाल के अवसान के एक मास पूर्व से कम की नहीं होगी :

परन्तु यह कि यदि असाधारण परिस्थितियों में निर्वाचन इस उपनियम के अधीन अनुज्ञात समयावधि के भीतर नहीं किए जा सकते तो केन्द्रीय सरकार, रिटर्निंग आफिसर की विशिष्ट प्रार्थना पर या अन्यथा निर्वाचन की तारीख या तारीखों को स्थगित कर सकेगी जो किसी भी स्थिति में, विद्यमान परिषद् के कार्यकाल के पर्यवसान के पश्चात् की नहीं होगी । (2) उपनियम (1) के उपबंध के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार अवधारित निर्वाचन की तारीख या तारीखों के कम से कम तीन मास पूर्व, परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के निम्नलिखित चरणों के लिए नियत तारीखें भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करेगा, अर्थात् :—

- (क) नामनिर्देशन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख और समय, जो अधिसूचना की तारीख से 21 दिन से कम नहीं होगी ;
- (ख) नामनिर्देशनों की जांच की तारीख या तारीखें और स्थान, जिसका अंतिम दिन खंड (क) के अधीन नामनिर्देशनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगा ;
- (ग) नामनिर्देशन वापस होने के लिए अंतिम तारीख और समय, जो खंड (ख) के अधीन नामनिर्देशनों की जांच के लिए अंतिम तारीख से दस दिन पूर्व की होगी;
- (घ) मतदान की तारीख या तारीखें ;
- (ङ) नियम 28 के अधीन डाक द्वारा मतदान की अनुज्ञा के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख ;
- (च) मतदाताओं से डाक द्वारा वापस मतपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय ;
- (छ) मतगणना की तारीख या तारीखें ;
- (ज) परिणाम घोषित करने की तारीख ।

(3) यदि रिटर्निंग आफिसर की राय में, आबद्ध कारणों से उपनियम (2) के अधीन किसी तारीख में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है तो वह उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नई तारीख या तारीखें भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी अधिसूचना उपनियम (2) के खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन तारीखों में परिवर्तन के सिवाए पुनरीक्षित तारीख या तारीखों से कम से कम दस दिन पूर्व जारी की जाएगी ।

(4) मतदान की तारीख या तारीखों को छोड़कर, यदि उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन अधिसूचित कोई अंतिम तारीख बाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवकाश के रूप में घोषित कर दी जाती है तो इस प्रकार नियत अंतिम तारीख का अर्थ तुरन्त पश्चात् अगला कार्य दिवस लगाया जाएगा ।

5. **मत देने के लिए पात्र सदस्य** — इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा सदस्य, जिसका नाम, उस वित्तीय वर्ष में 1 अक्टूबर को जिसमें परिषद् का निर्वाचन किया जाना हो, रजिस्टर पर उपलब्ध है, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से मत देने के लिए पात्र होगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त तारीख को उसका वृत्तिक पता आता हो :

परन्तु यह कि मतदाताओं की सूची के प्रकाशन की तारीख को उसका नाम रजिस्टर से हटाया न गया हो :

परन्तु यह और कि यदि सुसंगत तारीख को वृत्तिक पता रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है तो रजिस्टर में उपलब्ध उसके आवासीय पते से उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का अवधारण किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे सदस्यों की स्थिति में जिनके वृत्तिक पते भारत से बाहर के हैं और वे मत देने के लिए पात्र हैं, उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण, उनके विदेश जाने के तुरन्त पूर्व भारत में रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक पते या सुसंगत तारीख को सदस्यों के रजिस्टर पर उपलब्ध भारत में उनके आवासीय पते के अनुसार, इनमें जो भी पश्चात्पूर्ती हो, किया जाएगा ।

6. **मतदाता सूची** — (1) रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व मत देने के लिए पात्र सदस्यों की एक सूची इन नियमों की अनुसूची 2 के अनुसार, नियम 5 में यथा परिभाषित रूप में प्रकाशित करेगा ।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतदाताओं की सूची में प्रकाशित किसी सदस्य का पता, वह रीति जिसमें वह मत देने का हकदार है, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केन्द्र जिससे वह अपना मत देने के प्रयोजन के लिए संबंधित है, अवधारित करने के लिए अंतिम होगा ।

(3) मत देने के पात्र सदस्यों की सूची मुख्यालय, सुसंगत प्रादेशिक परिषदों और उनकी सुसंगत शाखाओं में ऐसी कीमत के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा नियत की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी ।

(4) मत देने के पात्र सदस्यों की सूची में किसी सदस्य का नाम सम्मिलित होने से उसे निर्वाचन में, जो इन नियमों, विनियमों और अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन होगा, मत देने का अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है ।

(5) उपनियम (3) के अनुसार सूची की उपलब्धता की बाबत घोषणा संस्थान की वेबसाइट, परिषद् के सूचना पट्ट, संबंधित प्रादेशिक परिषद् के सूचना पट्ट और जहां कहीं विद्यमान हों, संबंधित प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के सूचना पट्टों पर रख दी जाएगी ।

(6) यदि मत देने के पात्र सदस्यों की सूची में किसी लिपिकीय त्रुटि या लोप का पता चलता है तो रिटर्निंग आफिसर किसी भी समय एक समुचित शुद्धिपत्र जारी करके उसका सुधार कर सकेगा ।

7. **निर्वाचन में खड़े होने के पात्र सदस्य** – इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा सदस्य जो उस वित्तीय वर्ष में जिसमें निर्वाचन किए जाने हैं, 1 अक्टूबर को फैलो सदस्य है और उसका नाम नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन नामनिर्देशनों की जांच की अंतिम तारीख तक रजिस्टर में बना रहता है, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, जहां वह मत देने का पात्र है परिषद् के निर्वाचन के लिए खड़े होने का पात्र होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति परिषद् के निर्वाचन में खड़े होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में पात्र नहीं पाया जाता है –

(क) वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उसका नाम रजिस्टर से हटाया गया है या उस पर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के परन्तुक में यथा उपबंधित जुर्माने की शास्ति लगाई गई है ;

(ख) वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) में यथा उपबंधित केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वह संस्थान का संपरीक्षक रहा है जैसा कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) में उपबंधित है ;

(घ) उसने अधिनियम की धारा 10 के प्रथम परन्तुक में यथा उपबंधित पद लगातार तीन कार्यकालों तक धारण किया है ;

(ङ) वह अधिनियम धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ है जैसा कि अधिनियम की धारा 10 के दूसरे परन्तुक में उपबंधित है ।

इस नियम के प्रयोजन के लिए –

(i) उपरोक्त परन्तुक के खंड (क) के अधीन निरर्हता आकर्षित करने के प्रयोजन के लिए लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने के पूर्व कारित अपराधों के लिए किसी व्यक्ति पर लगाई गई शास्तियों या लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी व्यक्ति पर लगाई गई शास्तियों पर भी विचार किया जाएगा ;

(ii) उपरोक्त परन्तुक के खंड (ख) के अधीन निरर्हता आकर्षित करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि या किसी ऐसे निगमित निकाय अथवा संगठन से वेतन आहरण करने वाला व्यक्ति जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास वैयष्टिक या संयुक्त रूप से अधिकांश पण का स्वामित्व है, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पदधारण करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा ;

(iii) ऐसे व्यक्ति के लिए जो लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने के पूर्व संस्थान का संपरीक्षक रहा है, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उपबंधित तीन वर्ष की अवधि की परिसीमा में उसके संपरीक्षक न रहने और लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने के बीच की अवधि भी सम्मिलित की जाएगी ;

(iv) उपरोक्त परन्तुक के खंड (घ) के अधीन निरर्हता के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने के पूर्व अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अथवा भागतः

खंड (क) और भागतः खंड (ख) के अधीन सदस्य के रूप में धारित पद के कार्य कालों की संख्या को तीन लगातार कार्यकालों की संगणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ;

(v) उपरोक्त परन्तुक के खंड (ड) के अधीन निरर्हता आकर्षित करने के प्रयोजन के लिए, लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने के पूर्व अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के अध्यक्ष का पद धारण करने को भी हिसाब में लिया जाएगा ।

8. **निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या** – प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या अनुसूची 3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संगणित की जाएगी ।

9. **नामनिर्देशन** – (1) परिषद्, निर्वाचन की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व, प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कथित करते हुए और नियम 4 के उपनियम (2) द्वारा अधिसूचित तारीख और समय तक, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन मंगाने के लिए एक सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

(2) किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नामनिर्देशनों की अधिकतम संख्या मात्र 10 होगी :

परन्तु यह कि 10 से अधिक नामनिर्देशनों के प्राप्त होने की दशा में, प्राप्ति की तारीख और समय के आधार पर अवधारित प्रथम 10 नामनिर्देशनों पर विचार किया जाएगा ।

(3) **अभ्यर्थी का नामनिर्देशन** –

(i) अनुमोदित प्ररूप में होगा जो अभ्यर्थी द्वारा तथा ऐसे एक प्रस्थापक और एक समर्थक द्वारा, जो दोनों व्यक्ति सुसंगत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन में मतदान देने के हकदार हों, सम्यक्तः हस्ताक्षरित होगा ; और

(ii) अपेक्षित फीस, प्रतिभूति निक्षेप और इन नियमों में अधिकथित अन्य कागजात के साथ अधिसूचित तारीख को 6.00 बजे अपराह्न के अपश्चात् नाम से रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त होगा :

परन्तु यह कि परिदान की अभिरवीकृति, रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नामनिर्देशन प्ररूप प्राप्त होने पर, नामनिर्देशन प्ररूप की प्राप्ति की तारीख और समय का उल्लेख करते हुए, दी जाएगी ।

(4) नामनिर्देशन केवल तब विधिमान्य होगा यदि इसके साथ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित अनुसूची 4 में यथा उपबधित सूचना अंतर्विष्ट करने वाला विवरण भी दिया गया हो ।

10. **निर्वाचन के लिए फीस** – (1) निर्वाचन के लिए कोई अभ्यर्थी ऐसी फीस का संदाय करेगा जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए और वह किसी भी स्थिति में नामनिर्देशनों की संख्या पर विचार किए बिना 50,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(2) फीस का संदाय सचिव के पक्ष में और कोलकाता में संदेय देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - संदेय फीस और ऐसी फीस के संदाय की रीति नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित की जाएगी ।

(3) ऐसा अभ्यर्थी जिसका नामनिर्देशन अविधिमान्य पाया जाता है, संदेय फीस का पचास प्रतिशत प्रतिदाय प्राप्त करने का हकदार होगा ।

11. **प्रतिभूति निक्षेप** - निर्वाचन के लिए कोई अभ्यर्थी, नियम 10 में यथा उपबंधित फीस के अलावा, नियम 9 के अधीन फाइल किए गए विनिर्दिष्ट नामनिर्देशनों की सख्या पर विचार किए बिना, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 20,000/- रु. (बीस हजार रुपए) का संदाय करेगा जिसे समपहत कर लिया जाएगा यदि वह संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए नियम 35 में यथा परिभाषित मूल मतों के कम से कम 2% मत प्राप्त करने में असफल रहता है ।

स्पष्टीकरण - प्रतिभूति निक्षेप के संदाय की रीति नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

12. **नामनिर्देशनों की जांच** - (1) परिषद्, प्रत्येक निर्वाचन के लिए, सभी अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों की जांच के लिए एक पैनल नियुक्त करेगी ।

(2) पैनल में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें से एक रिटर्निंग आफिसर होगा और दो अन्य व्यक्ति अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्यों में से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार का अधिकारी होगा और दूसरा संस्थान का सदस्य नहीं होगा परन्तु यह कि यदि ऐसे सदस्यों में एक या अधिक सदस्य उपलब्ध नहीं है या कार्य करने का अनिच्छुक हैं तो केन्द्रीय सरकार का कोई अन्य अधिकारी होगा जो केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट करे ।

(3) पैनल के सदस्यों के नाम अंतर्विष्ट करने वाली एक अधिसूचना, ऐसे निर्वाचन के लिए, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, नामनिर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के पूर्व जारी की जाएगी ।

(4) पैनल का कार्यकाल उस मतदान के पूर्ण होने के साथ समाप्त हो जाएगा जिसके लिए इसकी नियुक्ति की गई थी ।

(5) पैनल को अपनी प्रक्रिया ऐसी रीति में जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे, विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(6) कारबार के संव्यवहार के लिए पैनल की गणपूर्ति दो होगी ।

(7) पैनल, एक या अधिक सदस्यों के कार्य करने में असमर्थ होने के कारण पैनल में कोई रिक्ति हो जाने की स्थिति में, रिटर्निंग आफिसर द्वारा उस रिक्ति को अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्यों में से भरा जाएगा, बशर्त वह संस्थान का सदस्य नहीं है और परन्तु यदि एक या अधिक सदस्य उपलब्ध नहीं हैं या कार्य करने में अनिच्छुक हैं तो उसे केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट करे ।

(8) पैनल सभी अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों की जांच करेगा और प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर अपना विनिश्चय, कि क्या नामनिर्देशन स्वीकार किया जाता है अथवा अस्वीकार किया जाता है, पृष्ठांकित करेगा।

(9) यदि नामनिर्देशन अस्वीकार किया जाता है तो पैनल अपने कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

(10) पैनल, नामनिर्देशन अस्वीकार करेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :—

- (i) अभ्यर्थी नियम 7 के अधीन निर्वाचन में खड़ा होने का पात्र नहीं था; या
- (ii) प्रस्थापक या समर्थक अनुमोदित फार्म में अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हित नहीं था; या
- (iii) अभ्यर्थी या प्रस्थापक या समर्थक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं; या
- (iv) नियम 9, नियम 10 या नियम 11 के उपबंधों का अनुपालन करने में असाफल्य रही है।

स्पष्टीकरण 1 - पैनल ऐसे तकनीकी आधार पर, जो सारवान् स्वरूप का न हो, नामनिर्देशन अस्वीकार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 2 - किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की, नामनिर्देशन की बाबत किस अनियमितता के कारण अस्वीकृति, नियम 9 के अधीन प्रस्तुत अन्य नामनिर्देशन की स्वीकृति को वर्जित नहीं करेगी और यह उसी अभ्यर्थी की बाबत भी विधिमान्य है।

स्पष्टीकरण 3 - यदि नामनिर्देशन पर हस्ताक्षर के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रवर्तन के कारण प्रस्थापक या समर्थक असमर्थ हो जाता है तो इससे नामनिर्देशन अविधिमान्य नहीं होगा।

(11) किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन या यदि एक से अधिक नामनिर्देशन फाइल किए गए हैं तो सभी नामनिर्देशनों से इनकार करने या अस्वीकार करने की स्थिति में, रिटर्निंग आफिसर संबंधित अभ्यर्थी को पैनल के विनिश्चय के साथ उसके लिए कारणों के संक्षिप्त विवरण की सूचना रजिस्ट्रीकृत/स्पीड डाक द्वारा भेजेगा।

13 **विधिमान्य नामनिर्देशनों की सूचियां तैयार करना** - (1) नामनिर्देशनों की जांच पूर्ण होने पर, रिटर्निंग आफिसर तुरन्त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधिमान्य नामनिर्देशनों की सूची तैयार करेगा और सूची की एक प्रति उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक अभ्यर्थी को जिसने नामनिर्देशन फाइल किया था, रजिस्ट्रीकृत/स्पीड डाक से भिजवाएगा:

परन्तु यह कि ऐसी सूची नियम 4 के उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशन वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजी जानी चाहिए।

(2) सूची में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के मतदाता सूची में यथा प्रकाशित नाम वर्णमाला के अनुसार और पते अंतर्विष्ट होने चाहिए:

परन्तु यह कि यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे हैं ता सदस्य के रूप में नामांकन की पूर्वतर तारीख वाला व्यक्ति सूची में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से पहले सम्मिलित किया जाएगा जिनके नाम एक जैसे हैं किन्तु नामांकन की तारीख बाद की है।

14. **अभ्यर्थिता वापस लेना** – (1) कोई अभ्यर्थी अपने द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित स्वयं के हाथ की सूचना नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अधिसूचित अंतिम तारीख को 6.00 बजे अपराह्न के पूर्व रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त कराकर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी को, जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दी है, उस सूचना को रद्द करने या वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (3) नियम 4 के उपनियम (2) द्वारा अधिसूचित अंतिम तारीख से पांच दिनों के भीतर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से वापस ली है रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़े अन्य अभ्यर्थियों को भेजी जाएगी।
- (4) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने उपनियम (1) के अनुसरण में अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, उसके द्वारा नियम 10 के उपनियम (1) और (2) के अधीन संदत्त फीस का पचास प्रतिशत एवं नियम 11 के अधीन संदत्त पूरा प्रतिभूति निक्षेप वापस प्राप्त करने का हकदार होगा।
15. **नामनिर्देशनों की अंतिम सूची की अभ्यर्थियों और मतदाताओं को सूचना** –
- (1) रिटर्निंग आफिसर, विधिमान्य नामनिर्देशनों की सूची में से ऐसे अभ्यर्थियों के नामों का लोप करेगा जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामनिर्देशनों की अंतिम सूची उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक से तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को साधारण डाक से भेजेगा।
- (2) सूची, संस्थान के सूचना पट्ट, संस्थान की वेबसाइट, संबंधित प्रादेशिक परिषद् के सूचना पट्ट और संबंधित प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के, जहां वे विद्यमान हैं, सूचना पट्टों पर रखी जाएगी।
- (3) सूची के साथ उस निर्वाचन क्षेत्र के लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की ऐसी विशिष्टियां भी होंगी जो नियम 9 के उपनियम (4) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई विशिष्टियों में से रिटर्निंग आफिसर द्वारा अनुसूची 5 के अनुसरण में संकलित, तैयार की गई और प्रस्तुत की गई हों :
- परन्तु यह कि वह, दी गई विशिष्टियों में से उसकी जानकारी में आने वाली किसी प्रकट गलती का सुधार कर सकेगा।
- (4) नामनिर्देशनों की सूची के साथ उपरोक्तानुसार जाने वाली अपेक्षित विशिष्टियों सहज रूप से यह उपदर्शित करेगी, कि उन्हें नियम 9 के उपनियम (4) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई विशिष्टियों के आधार पर संकलित किया गया है और उन विशिष्टियों की सत्यता की बाबत किसी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
16. **निर्वाचन आचार संहिता** – (1) स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने को दृष्टि से रिटर्निंग आफिसर, नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन आचार संहिता जारी करेगा और इसे संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) निर्वाचन आचार संहिता में मतदान बूथ और गणना केन्द्र सहित संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों और इन नियमों के अधीन नियुक्त उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले अनुदेश और सन्नियम होंगे ।

(3) निर्वाचन आचार संहिता नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी होने की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगी ।

(4) निर्वाचन आचार संहिता, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 की मद (1) के अधीन परिषद् का मार्गदर्शक सिद्धांत समझी जाती है और निर्वाचन आचार संहिता का अनुपालन प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आबद्धकर है ।

17. **अभ्यर्थी की मृत्यु** – (1) यदि किसी अभ्यर्थी की निर्वाचन की तारीख से पूर्व किंतु अभ्यर्थिता वापल लेने के लिए नियम 14 के अधीन नियत तारीख के पश्चात् मृत्यु हो जाती है और उसका नामनिर्देशन विधिमान्य है या विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया गया है तो उसके निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन, शेष अभ्यर्थियों के बीच कराया जाएगा और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें ऐसा सदस्य अभ्यर्थी था, सदस्यों के निर्वाचन के प्रतिनिर्देश से नई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होगी ।

(2) ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए मत, मतपत्र में पूर्ववक्ता क्रम में अगले अभ्यर्थी, यदि कोई है, के पक्ष में डाले गए मत समझे जाएंगे ।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी की मृत्यु निर्वाचन की तारीख के पश्चात् किंतु गणना प्रारंभ होने के पूर्व हो जाती है तो ऐसे किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए मत, मतपत्र में पूर्ववक्ता क्रम में अगले अभ्यर्थी, यदि कोई है, के पक्ष में डाले गए मत समझे जाएंगे ।

(4) यदि किसी अभ्यर्थी की मृत्यु गणना प्रारंभ होने के पश्चात् और परिणाम घोषित होने के पूर्व हो जाती है तो मतों की गणना चलती रहेगी मानो उस व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो, और, यदि ऐसी गणना के परिणामस्वरूप उसकी स्थिति ऐसी पाई जाए कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाए तो सभी मतपत्रों की गणना नए सिरे से पुनः की जाएगी और अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए मत, मतपत्रों में पूर्ववक्ता क्रम में अगले अभ्यर्थी, यदि कोई है, के पक्ष में डाले गए मत समझे जाएंगे ।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी की मृत्यु, परिणामों की घोषणा के बाद, जिसमें उसे निर्वाचित घोषित किया गया है, तो परिणामी रिक्ति अधिनियम की धारा 13 के अधीन आकस्मिक रिक्ति समझी जाएगी ।

18. **अभ्यर्थी निर्वाचित समझे जाएंगे यदि उनकी संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर या उससे कम है** – (1) जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र से विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या अभ्यर्थियों को नामनिर्देशनों की अंतिम सूची जारी करने

की तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर या कम है या जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थियों की संख्या, निर्वाचन की तारीख के पूर्व मृत्यु के कारण उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर या उससे कम हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी निर्वाचित समझे जाएंगे और रिटर्निंग आफिसर ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सम्यक्तः निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) जहां, किसी निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों से कम है, रिटर्निंग आफिसर उस निर्वाचन क्षेत्र से शेष सदस्यों के निर्वाचन या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों के लिए नई कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा।

19. **निर्वाचन का ढंग** – (1) निर्वाचन आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान किया जाए, मत, गुप्त मतदान द्वारा दिया जाएगा और किसी भी निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए बूथ में व्यक्तिगत रूप से अपना मत डालेगा जब तक कि मतदाता को किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए, जैसा कि इसके पश्चात् उपबंधित किया गया है, अनुज्ञात न किया जाए।

स्पष्टीकरण – स्पष्टता के प्रयोजन के लिए यह दोहराया जाता है कि अपना मत अभिलिखित करने का इच्छुक कोई मतदाता ऐसा व्यक्तिगत रूप से करेगा न कि प्रोक्षी द्वारा।

(3) इन नियमों या विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी रीति में जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से मतदान मशीनों या इन्टरनेट के माध्यम से मत डालना या अभिलिखित करना ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जा सकेगा जैसाकि रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन, नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व ईप्सित और प्राप्त किया जाना चाहिए।

20. **मतदाता के मतों की अनुज्ञेय संख्या** – (1) मतदाता का केवल एक मत होगा और उसके पास उतनी प्राथमिकताएं होंगी जितने अभ्यर्थी हैं।

(2) मतदाता अपना मत डालने के लिए –

(क) अपने मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के, जिसे वह मत देने का इच्छुक है, सामने वर्ग के अन्दर संख्या 1 (रोमन या अरबी अंकों में या शब्दों में) लिखेगा; और

(ख) इसके साथ-साथ अपने मतपत्र पर पूर्वोक्ता क्रम में, उपनियम (1) के अधीन उसे उपलब्ध पूर्वोक्ताओं की अधिकतम संख्या तक अन्य अभ्यर्थियों, के नामों के सामने वर्ग में संख्या 2 या संख्या 2 और 3 या संख्या 2, 3 और 4 (अरबी या रोमन अंकों में या

शब्दों में) लिख सकेगा।

(ग) वहां 'X' बना सकेगा जिनके सामने उसने कोई पूर्विकता उल्लिखित नहीं की है।

21. **मतदान बूथ** — (1) रिटर्निंग आफिसर, इतनी संख्या में और ऐसे स्थानों पर मतदान बूथ स्थापित करेगा जैसा वह आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि किसी ऐसे स्थान पर या उससे 50 कि. मी. की दूरी के भीतर मतदान बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा जहां नियम 5 के अनुसार मतदान करने के लिए पात्र सदस्य 15 से कम हैं :

परन्तु यह और कि यदि बाध्यकारी कारणों से रिटर्निंग आफिसर की राय में एक या अधिक मतदान बूथों के पतों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है तो वह ऐसा कर सकेगा और इस परिवर्तन को संस्थान की वेबसाइट में प्रकाशित करने के अलावा ऐसे परिवर्तन की सूचना डाक या ई-मेल द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र के जिसमें वे मतदान बूथ स्थित है प्रभावित सभी मतदाताओं और अभ्यर्थियों को देगा।

(2) ऐसे स्थान में जहां 2500 से कम मतदाता हैं, प्रत्येक 500 मतदाताओं या उसके भाग के लिए एक मतदान बूथ होगा यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उसी स्थान में विभिन्न मतदान बूथों के मध्य मतदाताओं का आबंटन 500 के समूहों में ही हो और मतदान एक दिन होगा।

(3) ऐसे स्थान में जहां 2500 से अधिक मतदाता हैं, प्रत्येक मतदान बूथ को 1000 मतदाता या उसका भाग आबंटित होगा और मतदान निरंतर दो दिन होगा।

22. **मतदान अधिकारी** — (1) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान बूथ के लिए अधिमानतः केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी को मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा और ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह मतदान अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि संस्थान का कोई भी सदस्य मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) मतदान अधिकारी, इन नियमों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वाहन करने के साथ-साथ मतदान बूथ पर सभी व्यवस्थाओं का साधारण रूप में भारसाधक होगा और इस संबंध में आदेश जारी कर सकेगा कि व्यक्तियों को किस प्रकार से मतदान बूथ में प्रवेश दिया जाएगा और साधारणतया मतदान बूथ और उसके आस-पास कैसे शांति और व्यवस्था बनाई रखी जाएगी।

(3) जहां रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी मतदान के लिए नियत एक या अधिक दिनों पर मतदान का संचालन करने में असमर्थ रहे तो वह इसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर या इस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को देगा, जो उसके स्थान पर उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

23. **निर्वाचन प्रेक्षकों की नियुक्ति** — (1) रिटर्निंग आफिसर सभी या किसी मतदान बूथ और

गणना स्थल या स्थलों के लिए इतनी संख्या में जो वह समुचित समझे, ऐसे प्रेक्षकों की नियुक्ति करेगा जो संस्थान के सदस्य न हों तथा ये प्रेक्षक ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाएं ।

(2) निर्वाचन प्रेक्षकों के लिए इस प्रकार परिषद् द्वारा विनिश्चित कर्तव्यों का अभ्यर्थियों और मतदाताओं में सम्यक् प्रचार किया जाएगा ।

24. **गुप्त चेम्बर** — (1) प्रत्येक मतदान बूथ पर गुप्त चेम्बर होगा/होंगे ।
 (2) चेम्बर की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति यह देखने में समर्थ न हो कि मतदाता ने अपना मत किस प्रकार अभिलिखित किया है ।
25. **मतपत्र** — (1) मतपत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की एक सूची अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होगी और यह केवल एक ओर मुद्रित होगी ।
 (2) ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर ऐसी रीति में मुद्रित संस्थान का संप्रतीक होगा जैसा रिटर्निंग आफिसर मतपत्र की सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर विनिश्चित करे ।
26. **मतदान बूथों पर अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति** — (1) किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए कोई अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान बूथों पर उपस्थित रहने का हकदार होगा ।
 (2) वह प्रत्येक मतदान बूथ के लिए किन्हीं दो सदस्यों को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जिनमें से केवल एक किसी विशिष्ट मतदान बूथ पर उसकी ओर से एक समर्थ उपस्थित रहने का हकदार होगा ।
 (3) किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि अभ्यर्थी ने ऐसे प्रतिनिधि को प्राधिकार पत्र जारी न किया हो । प्राधिकार पत्र संबंधित मतदान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्राधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण नाम, सदस्यता संख्या और पता और साथ ही उस मतदान बूथ की संख्या जिसमें वह उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत है, अंतर्विष्ट होंगे ।
 (4) मतदान अधिकारी अभ्यर्थियों और/या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति का अभिलेख रखेगा, जो मतदान समाप्त होने के बाद रिटर्निंग आफिसर को अंग्रेषित किया जाएगा ।
27. **सहायकों की नियुक्ति** — मतदान अधिकारी, मतदान बूथ पर ऐसे व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य न हों और जिन्हें वह मतदाताओं की पहचान करने में उसे सहायता देने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे, नियोजित कर सकेगा :
 स्पष्टीकरण - यह बात दोहरायी जाती है कि इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति इन नियमों में अधिकथित मतदान अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने का हकदार नहीं होगा और वह केवल मतदान अधिकारी की सहायता करेगा ।
28. **डाक से मत देने की पात्रता** — (1) ऐसा सदस्य जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है और उसका नाम किसी भी मतदाता बूथ के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है, डाक से मत देने

के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) ऐसा सदस्य जो मतदान बूथ पर मत देने का हकदार है, रिटर्निंग आफिसर के विवेकानुसार डाक द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि वह किसी स्थायी अंग शैथिल्य से ग्रस्त होने या सेवा का सदस्य होने की स्थिति में पते में स्थायी परिवर्तन के कारण उसे आबंटित मतदान बूथ पर अपना मत डालने में असमर्थ है :

परन्तु यह कि ऐसे मामले में वह, यथास्थिति, किसी सरकारी अस्पताल में शल्य चिकित्सक से अन्यून रैंक के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी ऐसे स्थायी अंग शैथिल्य की पुष्टि करने वाले चिकित्सा प्रमाण-पत्र या उस संगठन के जहां सदस्य नियोजित है प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित पते में स्थायी परिवर्तन के प्रमाण के साथ इस उपनियम के अधीन डाक द्वारा मत देने की अनुज्ञा के लिए अनुमोदित प्ररूप में आवेदन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा जिससे कि वह निर्वाचन की तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व उसके पास पहुंच जाए और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त न होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए “सेवा में सदस्य” से संस्थान के ऐसे सदस्य अभिप्रेत हैं जो ऐसे संगठन में नियोजित हैं जो फर्म नहीं हैं ।

(3) ऐसा सदस्य जो भारत के बाहर निवास करता है, इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी डाक द्वारा मत देने का पात्र होगा यदि उसका विदेश का पता संस्थान में रजिस्ट्रीकृत है और मत देने के पात्र सदस्यों की सूची में प्रकाशित हुआ है ।

(4) इस उपनियम के अधीन रियायत का कोई दुरुपयोग या गलत कथन या गलत सत्यापन अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अधीन परिषद् के लिए अपकीर्ति लाने वाले समझे जाएंगे ।

29. **मतदान बूथों पर मतदान की प्रक्रिया** — मतदान बूथों पर मतदान, इन नियमों की अनुसूची 6 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगा ।
30. **डाक द्वारा मतदान की प्रक्रिया** — डाक द्वारा मतदान, इन नियमों की अनुसूची 7 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगा ।
31. **मतपत्र अविधिमान्य घोषित करने के लिए आधार** — मतपत्र, अविधिमान्य होगा, —
 - (क) यदि कोई मतदाता इस पर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है या कोई शब्द अथवा अंक लिखता है या नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन ‘X’ चिह्न के अलावा टिक (✓)/क्रास (X) सहित कोई अन्य चिह्न बनाता है जिससे कि मतपत्र पहचान योग्य बन जाए या जिसके द्वारा मतदाता की पहचान हो सके ; या
 - (ख) यदि इसे परिषद् के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन मुद्रित नहीं किया गया है या यह नियम 25 के अधीन मुद्रित मतपत्रों से किसी भी रूप में भिन्न है ; या
 - (ग) यदि इस पर संख्या 1 (अरबी या रोमन अंकों में या शब्दों में) अंकित नहीं की

गई ; या

- (घ) यदि संख्या 1 (अरबी या रोमन अंकों में या शब्दों में) एक से अधिक अभ्यर्थियों के सामने लगाई गई ; या
- (ङ) यदि संख्या 1 (अरबी या रोमन अंकों में या शब्दों में) और कुछ अन्य संख्याएं उसी अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित की गई ; या
- (च) यदि इसे अंकित नहीं किया गया है या इस पर किया गया अंकन शून्य है या उसे स्पष्ट रूप से अवधारित नहीं किया जा सकता ; या
- (छ) यदि यह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती ।

32. **मतों की गणना के लिए समय और तारीख का नियतन** — रिटर्निंग आफिसर, मतदान की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए संस्थान के मुख्यालय पर मतों की गणना के लिए तारीख या तारीखें, स्थान और समय नियत करेगा और ऐसी तारीख या तारीखों, स्थान और समय की लिखित सूचना सभी अभ्यर्थियों को देगा ।
33. **जांचकर्ताओं की नियुक्ति** — रिटर्निंग आफिसर ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों को जो न तो परिषद् के सदस्य हैं और न ही निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, मतपत्रों के जांचकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए और मतगणना में साधारणतया उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त करेगा ।
34. **मतों की गणना के समय अभ्यर्थियों की उपस्थिति** — निर्वाचन के लिए कोई अभ्यर्थी मतों की गणना के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए या उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिए किसी सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के लिए हकदार होगा ।
35. **मतों की गणना और परिणामों की घोषणा** — मतों की गणना, अनुसूची 8 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।
36. **परिणामों की घोषणा की अधिसूचना** — निर्वाचित घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों के नाम परिषद् द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ।
37. **सांयोगिक लोप, आदि के कारण निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा** — कोई भी निर्वाचन मात्र, मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में से किसी सदस्य के नाम के सांयोगिक लोप या उसे मतदान करने के लिए अनुज्ञात करने में कोई सांयोगिक त्रुटि या मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में ऐसे व्यक्ति के नाम के सांयोगिक सम्मेलन, जो मतदान का हकदार नहीं है या उसे मतदान के लिए अनुज्ञात करने या निर्वाचन के संचालन में किसी सांयोगिक अनियमितता अथवा अनौपचारिकता के कारण, जिसके अंतर्गत मतदाता को मतपत्र भेजने में सांयोगिक लोप या विलंब या मतदाता द्वारा मतपत्र प्राप्त करने में सांयोगिक लोप या विलंब है, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।
38. **रिटर्निंग आफिसर के कर्तव्य** — (1) रिटर्निंग आफिसर इन नियमों के अनुसार निर्वाचनों का संचालन करेगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर, उसके द्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों में से कोई कर्तव्य, संस्थान के ऐसे किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे ।

39. **रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा** – जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, रिटर्निंग आफिसर या इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्वाचन के संचालन, इन नियमों के निर्वचन और इन नियमों के अंतर्गत विशिष्ट रूप से न आने वाले विषयों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया की बाबत विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए निर्वाचन के संचालन के अंतर्गत मतों की गणना और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया भी है ।

40. **किसी स्थान में रिक्ति से, परिषद् के गठन में अवरोध नहीं होगा** – यदि किसी कारणवश किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों का कोई स्थान निर्वाचन के पश्चात् नहीं भरा जाता है/भरे जाते हैं तो इसे अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिषद् के गठन में अवरोध नहीं समझा जाएगा ।

41. **निर्वाचन व्यय** – (1) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका नाम नियम 15 के अधीन नामनिर्देशनों की अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है, इस प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा नियत रकम से ऊपर व्यय नहीं करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी, नियम 36 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पंद्रह दिनों के भीतर, परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, निर्वाचन पर उपगत व्ययों का एक विवरण फाइल करेगा ।

(3) यदि संस्थान की परिषद् के निर्वाचन के संबंध में यह पाया जाता है कि किसी सदस्य ने उपनियम (1) या उपनियम (2) के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो यह समझा जाएगा कि उसने अधिनियम की प्रथम अनुसूची 1 के भाग 4 की मद (2) के अधीन परिषद् की अपकीर्ति की है ।

42. **निर्वाचन के संचालन के संबंध में सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई** –

(1) यदि संस्थान की परिषद् के निर्वाचन के संबंध में यह पाया जाता है कि किसी सदस्य ने इस नियम के उपनियम (2) के उपबंधों का या उपनियम (3) अथवा उपनियम (4) के समस्त या किसी खंड का उल्लंघन किया है तो यह समझा जाएगा कि उसने अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अधीन परिषद् की अपकीर्ति की है ।

(2) निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची के अभ्यर्थियों को जारी करने की तारीख से प्रारम्भ अवधि में केवल एक घोषणा-पत्र या परिपत्र जारी किया जाएगा।

(3) निर्वाचन में गरिमा बनाए रखने के हित में, जारी किया गया घोषणा-पत्र या परिपत्र निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, अर्थात् :-

(क) घोषणा-पत्र या परिपत्र में अंतर्विष्ट जानकारी स्वयं अभ्यर्थी से संबंधित होगी

और इसमें किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई निर्देश नहीं होगा ;

(ख) घोषणा-पत्र या परिपत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के बारे में दी जाने वाली जानकारी सारवान् रूप में उस जानकारी से भिन्न नहीं होनी चाहिए जो नियम 9 के अधीन संस्थान द्वारा मतदाताओं को दी गई है । तथापि, ऐसे घोषणा-पत्र या परिपत्र में अभ्यर्थी ऐसी अतिरिक्त जानकारी सम्मिलित कर सकता है जो नियम 9 के अधीन दी गई जानकारी में अंतर्विष्ट नहीं है ;

(ग) घोषणा-पत्र या परिपत्र में न तो जाति या साम्प्रदायिक, धार्मिक, प्रादेशिक या वर्गीय आधार पर मतदाताओं से अपील और न ही बड़े दावे अंतर्विष्ट होंगे ;

(घ) घोषणा-पत्र या परिपत्र का वितरण केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों तक ही सीमित होगा ;

(ङ) ऐसे घोषणा-पत्र या परिपत्र की एक प्रमाणित प्रति, इसके जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर स्पीड/रजिस्ट्रीकृत डाक से रिटर्निंग आफिसर को भेजी जाएगी ।

(च) अभ्यर्थी, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन जारी घोषणा-पत्र या परिपत्र किसी अन्य रूप में इसकी अंतर्वस्तु में परिवर्तन किए बिना दोहरा सकता है, तथापि, वह एक से अधिक घोषणा-पत्र या परिपत्र जारी नहीं करेगा ।

(4) सदस्य, परिषद् के निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित में से एक या अधिक आचरण नहीं अपनाएगा, अर्थात् :—

(i) रिश्वत अर्थात् निम्नलिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य से अभ्यर्थी या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को कोई दान या दान की प्रस्थापना अथवा वचन या परितोषण :—

- (क) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने या खड़ा न होने के लिए उत्प्रेरित करना या कार्य अथवा लोप के लिए उसे इनाम देना ; या
- (ख) अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए उत्प्रेरित करना या ऐसी वापसी के लिए इनाम देना ; या
- (ग) किसी मतदाता को निर्वाचन में मत डालने या मत न डालने के लिए उत्प्रेरित करना या कार्य अथवा लोप के लिए इनाम ;

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए “परितोषण” पद केवल धनीय परितोषण या धन में आकलनीय परितोषण तक ही सीमित नहीं है और इसके अंतर्गत पार्टियों का आयोजन या किसी अन्य रूप में मनोरंजन प्रदान करना और इनाम के तौर पर सभी प्रकार के नियोजन हैं किंतु इसमें निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उपगत संभाव्य व्ययों का संदाय सम्मिलित नहीं है ;

(ii) अनुचित प्रभाव अर्थात् किसी अभ्यर्थी या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मत अधिकार के अबाध प्रयोग के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा हस्तक्षेप करने का प्रयास ;

(iii) किसी अभ्यर्थी या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र के संबंध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अथवा वापसी की बाबत तथ्य के एक ऐसे कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और जिसके संबंध में उसका विश्वास है कि या तो मिथ्या है अथवा सत्य नहीं है और जो ऐसा कथन है कि जिससे उस अभ्यर्थी की निर्वाचन संभावनाओं पर युक्तियुक्त रूप से संगणित प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(iv) अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए किसी अभ्यर्थी या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार में कार्यरत किसी व्यक्ति से, यदि वह मत देने का हकदार सदस्य है, मत देने से भिन्न कोई सहायता प्राप्त या उपाप्त करना अथवा प्राप्त या उपाप्त करने के लिए दुष्प्रेरित अथवा प्रयास करना ;

(v) किसी अभ्यर्थी या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं के प्रवहण के लिए कोई यान, चाहे संदाय पर या अन्यथा किराए पर लेना या उपाप्त करना ;

(vi) मतदान बूथ और/या मतों के गणना स्थल की बाबत रिटर्निंग आफिसर द्वारा अवधारित शून्य सहनशीलता क्षेत्र में अव्यवस्थित व्यवहार या दुर्व्यवहार का आश्रय लेना ;

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए मतों के लिए संयाचना, विजिटिंग कार्ड्स, पुस्तिकाओं, घोषणा-पत्रों, पत्रों, हैंड आउट, परिपत्रों और वैसी ही वस्तुओं का वितरण, स्टाल खड़ा करना, बैनर प्रदर्शित करना अव्यवस्थित व्यवहार या दुर्व्यवहार समझे जाएंगे ।

(vii) किसी अभ्यर्थी या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी समय और कहीं भी जिसके अंतर्गत मतदान की तारीख या तारीखें हैं, मतदान बूथ से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई सूचना या साइन बोर्ड प्रदर्शित करना या लगाना ;

(viii) निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में इन नियमों के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी निदेशों, परिपत्रों या अनुदेशों का अननुपालन ;

(ix) किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हुए या राजनैतिक तौर पर निर्वाचन लड़ना ;

(x) खंड (i) से खंड (ix) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य जब वह ऐसे सदस्य द्वारा किया जाए जो अभ्यर्थी नहीं है किंतु अभ्यर्थी की सहमति या मौनानुकूलता से कार्य कर रहा है ;

(xi) सदस्य द्वारा किसी परितोषण की प्राप्ति या सदस्य द्वारा उसकी प्राप्ति के लिए करार :-

(क) अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने या खड़ा न होने के लिए उत्प्रेरणा या इनाम के रूप में ; या

(ख) अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए उत्प्रेरणा या इनाम के रूप में ; या

(ग) स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में मत डालने या मत डालने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरणा या इनाम के रूप में ;

(घ) किसी मतदाता को मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित

- करने या उत्प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए उत्प्रेरणा या इनाम के रूप में ;
- (ड) किसी अभ्यर्थी को अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना ;
- (xii) इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या दुरुपयोग या इन नियमों के किसी उपबंध का पालन करते हुए, यह जानते हुए भी कि वह मिथ्या है या यह जाने बिना कि वह सत्य है, कोई मिथ्या कथन करना ।

अनुसूची 1

प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र

(नियम 3 देखिए)

परिषद् के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचक मंडल निम्नानुसार चार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में गठित होगा :-

(i) **पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र :-**

छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों तथा दादरा और नागर हवेली एवं दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों से मिलकर बनेगा ।

(ii) **दक्षिणी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र :-**

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों से मिलकर बनेगा ।

(iii) **पूर्वी भारत प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र :-**

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्यक्षेत्र से मिलकर बनेगा ।

(iv) **उत्तरी भारत प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र :-**

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों से मिलकर बनेगा ।

अनुसूची 2

मतदाताओं की सूची

[नियम 6 के उपनियम (1) से उपनियम (6) देखिए]

- (1) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाताओं की अलग-अलग सूची बनाई जाएगी।
- (2) उपरोक्त खंड (1) के अधीन इस प्रकार बनाई गई सूची में निम्नलिखित स्पष्ट और पृथक रूप से दर्शाए जाएंगे :-
 - (i) क्या मतदाता सहबद्ध या फैलो है;
 - (ii) सदस्य की मतदान करने की पात्रता विनिश्चित करने के लिए नियम 5 के अधीन यथा अवधारित प्रत्येक सदस्य का पता;
 - (iii) मतदाता के भारत के बाहर निवास करने की दशा में, खंड (ii) के अधीन उनके भारत में पते के साथ-साथ उनके भारत के बाहर संबंधित पते यदि संबंधित मतदाता द्वारा संस्थान को प्रस्तुत किए गए हैं;
 - (iv) मतदाता द्वारा संस्थान को यथा प्रस्तुत इन्टरनेट पते और ई-मेल पते के ब्यौरे, यदि मतदाता द्वारा इसे मतदाताओं की सूची में सम्मिलित करने की स्पष्ट मंजूरी दी गई है;
 - (v) वह रीति जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा; और
 - (vi) मतदाता के अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान बूथ पर करने की दशा में, उस मतदान बूथ की संख्या और पता जहां मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।
- (3) विभिन्न पतों पर अवस्थित एक से अधिक मतदान बूथ वाले स्थान के संबंध में, उपरोक्त खंड (2) के उपखंड (vi) द्वारा मतदाताओं की सूची में प्रकाशित मतदान बूथ विनिश्चित करने के लिए रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित कार्य करेगा :-
 - (i) वह संस्थान की पत्रिका और संबंधित प्रादेशिक परिषद् के न्यूज लेटर में, मतदाताओं की सूची के प्रकाशन से कम से कम दो मास पूर्व ऐसे स्थान की बाबत जहां एक से अधिक मतदान बूथ हैं विभिन्न मतदान बूथों के पतों के साथ एक सूचना प्रकाशित करेगा और उसे संस्थान की वेबसाइट पर भी लोड करेगा;
 - (ii) ऐसे स्थान का कोई मतदाता, जो उपरोक्त खंड (i) के अधीन प्रकाशित किसी विशिष्ट मतदान बूथ पर मतदान करने का इच्छुक है, ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर रिटर्निंग आफिसर को अपना अनुरोध भेज सकेगा;
 - (iii) रिटर्निंग आफिसर अपने विवेकानुसार ऐसे मतदाता को उसकी पसंद के मतदान बूथ पर मतदान करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और तदनुसार, उक्त मतदान बूथ के ब्यौरे मतदाताओं की सूची में सम्मिलित करेगा;
 - (iv) किसी मतदाता को उसके द्वारा अनुरोध किए गए मतदान बूथ पर मतदान करने को अनुज्ञात करना, रिटर्निंग आफिसर के लिए संभव न होने की दशा में रिटर्निंग आफिसर उसे उस स्थान के अन्य मतदान बूथ पर मत डालने के लिए अनुज्ञात करने का विनिश्चय कर सकेगा और तदनुसार उक्त मतदान बूथ के ब्यौरे मतदाताओं की सूची में सम्मिलित करेगा;

अनुसूची 3

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या

(नियम 8 देखिए)

- (1) नीचे खंड (5) के उपबंध के अधीन रहते हुए, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, नीचे खंड (4) के अनुसार यथा अवधारित सदस्यों की कुल संख्या को अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित परिषद् में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या से विभाजित करके यथा अवधारित निर्वाचनक्षेत्र में सदस्यों की ऐसी संख्या के लिए एक सदस्य होगा।
- (2) यदि प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र के लिए सदस्यों की पारिणामिक संख्या, भिन्न पर विचार किए बिना पूर्णांक जोड़ने के पश्चात् अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित अधिकतम संख्या से कम हो तो उच्चतम भिन्न वाले प्रदेश की बाबत भिन्न, एक गिनी जाएगी। यदि योग अब भी अधिकतम संख्या से कम रहता है तो अगली उच्चतम भिन्न वाले प्रदेश की बाबत भिन्न एक गिनी जाएगी। यह प्रक्रिया योग के अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या के बराबर होने तक नीचे खंड (5) के उपबंध के अधीन चलती रहेगी।
- (3) यदि प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र के लिए सदस्यों की पारिणामिक संख्या, जोड़े जाने के पश्चात् सदस्यों की अधिकतम संख्या से कम है और एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्रों में बिल्कुल समान भिन्न हैं तो उच्चतर सदस्यों वाले निर्वाचनक्षेत्र को नीचे खंड (5) के उपबंध के अधीन रहते हुए भिन्न को एक में संशोधित करने वाले मामले में अधिमान दिया जाएगा।
- (4) खंड (1) में निर्दिष्ट सदस्यों की कुल संख्या उस उस वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें निर्वाचन होने हैं, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित सदस्यों की सूची में सदस्यों की संख्या के प्रतिनिधित्व से अवधारित की जाएगी।
- (5) खंड (1) से खंड (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र से परिषद् के लिए कम से कम दो सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे।

अनुसूची 4

नामनिर्देशन के साथ दिए जाने वाले विवरण में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी

[नियम 9 का उपनियम (4) देखिए]

- (1) अभ्यर्थी के नामनिर्देशन के साथ, अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित निम्नलिखित जानकारी वाला विवरण दिया जाएगा :-
 - (क) मतदाताओं की सूची में यथा प्रकाशित नाम, सदस्यता सं., वृत्तिक पता और मतदाता का क्रम संख्यांक।
 - (ख) जन्म तिथि
 - (ग) क्या फैंलो है और फैंलो होने की तारीख
 - (घ) सहबद्ध सदस्य के रूप में नामांकन की तारीख
 - (ङ) क्या भारत का नागरिक है

- (च) क्या किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया और परिणामतः क्या उसे धिग्दंडित किया गया या रजिस्टर से नाम हटाया गया या नामनिर्देशन की तारीख को जुमाने की शास्ति दी गई है
- (छ) यदि उपरोक्त (च) का उत्तर सकारात्मक है तो जहां लागू हो, निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक अवचार के लिए जिसमें दोषी पाया गया पृथकतः) :
- (i) अपराध जिसके लिए दोषी पाया गया
- (ii) धिग्दंड की तारीख
- (iii) तारीख जब से उपरोक्त निरर्हता के कारण रजिस्टर से नाम हटाया गया
- (iv) हटाए जाने की कुल अवधि
- (v) तारीख, जब हटाए जाने की अवधि समाप्त हुई
- (vi) क्या हटाया जाना अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के अंतर्गत आने वाले अवचार के कारण था
- (vii) तारीख जब जुमाने की शास्ति की गई
- (viii) जुमाने की शास्ति की रकम
- (ix) तारीख जब जुमाने की दी गई शास्ति का संदाय किया गया
- (ज) (i) क्या संस्थान के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, और यदि हां, क्या तीन वर्ष की अवधि उसके संस्थान का संपरीक्षक न रह जाने के बाद नियुक्ति और संपरीक्षक न रह जाने की तारीखों के साथ पहले ही समाप्त हो चुकी थी ;
- (ii) यदि वह अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है तो वह तारीख जब वह समाप्त होगी ;
- (झ) संस्थान के अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के पद सहित, संस्थान की पूर्व और वर्तमान सदस्यता के ब्यौरे ;
- (ञ) क्या नियम 7 के उपनियम 2 में यथा परिभाषित केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा है ।
- (2) खंड (1) में निर्दिष्ट विवरण में, अभ्यर्थी के विकल्प पर निम्नलिखित के संबंध में अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी भी दी जा सकेगी :
- (क) शैक्षिक अर्हताएं (सरकार या परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हतोत्तर डिप्लोमा सहित डिप्लोमा और डिग्रियां तथा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त वृत्तिक निकायों की सदस्यता) ;
- (ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेरिट (योग्यता) पुरस्कार (प्रथम तीन स्थानों तक सीमित) ;
- (ग) वृत्ति की विशिष्टियां :-
- (i) नियोजन (वर्तमान नियोजक के नाम के साथ पद नाम)
- (ii) व्यवसाय (एकमात्र मालिक या भागीदारी फर्म में, फर्म के नाम सहित) ;

- (iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आए हों तो अन्य वृत्ति तथा कार्यों की विशिष्टियां ।
- (घ) प्रादेशिक परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की प्रबंध समितियों की पूर्व और वर्तमान सदस्यता तथा प्रादेशिक परिषदों और/या प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के मामले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और/या रोकड़िया का पद ।

अनुसूची 5

विधिमान्य नामनिर्देशनों की अंतिम सूची में सम्मिलित की जाने वाली लड़ने वाले अभ्यर्थियों की विशिष्टियां

[नियम 15 का उपनियम (3) देखिए]

विधिमान्य नामनिर्देशनों की अंतिम सूची के साथ लड़ने वाले अभ्यर्थियों की निम्नलिखित विशिष्टियां उस सीमा तक होंगी जो नियम 9 के उपनियम (4) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई हैं :-

- (क) मतदाताओं की सूची में यथा प्रकाशित नाम, सदस्यता सं., वृत्तिक पता और मतदाता का क्रम संख्यांक
- (ख) जन्म तिथि
- (ग) क्या फ़ैलो है और फ़ैलो होने की तारीख
- (घ) सहबद्ध सदस्य के रूप में नामांकन की तारीख
- (ङ) क्या भारत का नागरिक है
- (च) क्या किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया और परिणामतः क्या उसे धिगदंडित किया गया या रजिस्टर से नाम हटाया गया या नामनिर्देशन की तारीख को जुमाने की शास्ति दी गई और इसके ब्यौरे
- (छ) संस्थान के अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष सहित संस्थान की पूर्व और वर्तमान सदस्यता के ब्यौरे
- (ज) शैक्षिक अर्हताएं (सरकार या परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हतोत्तर डिप्लोमा सहित डिप्लोमा और डिग्रियां तथा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त वृत्तिक निकायों की सदस्यता)
- (झ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेरिट (योग्यता) पुरस्कार (प्रथम तीन स्थानों तक सीमित)
- (ञ) वृत्ति की विशिष्टियां :-
- (i) नियोजन (वर्तमान नियोजक के नाम के साथ पदनाम)
- (ii) व्यवसाय (एकमात्र मालिक या भागीदारी फर्म में, फर्म के नाम सहित)
- (iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आए हों तो अन्य वृत्ति और कार्यों की विशिष्टियां
- (ट) प्रादेशिक परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की प्रबंध समितियों की पूर्व और वर्तमान सदस्यता तथा प्रादेशिक परिषदों और/या प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के मामले में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव और/या रोकड़िया का पद ।

अनुसूची 6

मतदान बूथ पर मतदान की प्रक्रिया

(नियम 29 देखिए)

1. मतदाताओं की पहचान और निविदत्त मत

(1) मतदाता होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, रिटर्निंग आफिसर द्वारा उपलब्ध कराई गई मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी पहचान या हस्ताक्षर का सत्यापन मतदान अधिकारी द्वारा ऐसी रीतियों में किया जाएगा जैसी कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा समय-समय पर सलाह दी जाए ।

(2) मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति को मतपत्र परिदत्त किए जाने से पूर्व किसी भी समय, मतदान अधिकारी अपनी स्वैच्छा से, यदि उसके पास व्यक्ति की पहचान या मतदान बूथ पर उसके मतदान के अधिकार पर संदेह करने के कारण हैं या उसके नमूना हस्ताक्षर मतदान अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है और यदि अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, ऐसी रीति में अपना समाधान करेगा जो उसे पहचान के संबंध में सलाह योग्य प्रतीत हो ।

(3) यदि मतदान अधिकारी का, मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में समाधान नहीं होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को मतपत्र जारी करेगा किंतु मतपत्र मतपेटी में डलवाले के बजाए वह उसे पृथक मुद्राबंद लिफाफे में रखेगा जिसपर “निविदत्त मत” लिखा होगा तथा इसे रिटर्निंग आफिसर के पास संबंधित व्यक्ति के एक पत्र और उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ रिटर्निंग आफिसर के विनिश्चय के लिए भेजेगा जो कि अंतिम और निश्चायक होगा ।

(4) इस अनुसूची के अधीन किसी व्यक्ति के मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार का विनिश्चय करते समय किसी भी मतदान बूथ पर मतदान अधिकारी, मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची की किसी प्रविष्टि का निर्वचन लिपिकीय या मुद्रण त्रुटियों की उपेक्षा करने के लिए कर सकेगा परन्तु यह तब जब उसका यह समाधान हो जाए कि मतदाता के रूप में वही व्यक्ति है जिसके संबंध में ऐसी प्रविष्टि है ।

2. मतदान अधिकारी द्वारा रखा जाने वाला अभिलेख

मतदान अधिकारी, मत पत्र के परिदान के समय, मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची में मतदाता के नाम के सामने यह उपदर्शित करने के लिए एक चिह्न लगाएगा कि मतदाता ने मतपत्र प्राप्त कर लिया है ।

3. मतपेटी

मतपेटी को इस प्रकार बनाया जाएगा कि मतदान के दौरान मतपत्र उसके अन्दर घुसाया जा सके किन्तु उसमें से पेटी का ताला खोले या सील तोड़े बिना निकाला न जा सके ।

4. मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, मत अभिलिखित करने की रीति

मतपत्र प्राप्त करने पर, मतदाता तुरन्त इस प्रयोजन के लिए अलग से स्थापित गुप्त चेम्बर के भीतर जाएगा तथा मतपत्र पर नियम 20 में विनिर्दिष्ट रीति में अपना मत अभिलिखित करेगा। उसके पश्चात् वह मतपत्र की तह करेगा, गुप्त चेम्बर से बाहर आएगा और मतपत्र इस प्रयोजन के लिए रखी गई मतपेटी में, मतदान अधिकार की उपस्थिति में, डालेगा।

5. मतदाता द्वारा मतपत्र की वापसी

(1) जहां कोई मतदाता, मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, मतदान न करने का चयन करे, तो वह मत पत्र, मतदान अधिकारी को वापस करेगा और इस प्रकार वापस किए गए मतपत्र को "रद्द-वापसी" के रूप में अंकित करके इस प्रयोजन के लिए रखे गए एक पृथक लिफाफे में रखा जाएगा और ऐसे सभी मतपत्रों का अभिलेख मतदान अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(2) जहां, मतदाता को परिदत्त कोई मतपत्र गुप्त चेम्बर में उस पर कोई लिखावट सहित या उसके बिना पाया जाता है तो उस पर उपखंड (1) के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी मानो कि उसे मतदान अधिकारी को वापस किया गया हो।

6. मतदान बूथ पर प्रक्रिया

(1) मतदान बूथ को, मतदान अभिलिखित करने के लिए नियत दिन या दिनों पर 8.00 बजे पूर्वाह्न से 7.00 बजे अपराह्न तक, जब तक कि परिषद् द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, खुला रखा जाएगा।

(2) यदि मतदान अभिलिखित करने के लिए नियत दिन या दिनों पर किसी मतदान बूथ पर मतदान नहीं होता है या किसी पर्याप्त कारण से उसमें विघ्न या बाधा पड़ती है या मतदान बूथ पर प्रयोग में लाई जा रही मतपेटी के साथ छेड़-छाड़ की जाती है या सांयोगिक रूप से अथवा जान-बूझकर नष्ट कर दी जाती है, गुम हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो मतदान अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर के पूर्व अनुमोदन से किसी पश्चात्वर्ती तारीख के लिए मतदान स्थगित कर सकेगा या रिटर्निंग आफिसर उस बूथ पर मतदान को शून्य घोषित करेगा और नए मतदान के आदेश देगा।

(3) यदि उपखंड (2) के अधीन मतदान स्थगित या शून्य घोषित हो जाता है तो रिटर्निंग आफिसर, उक्त मतदान के लिए यथा संभव शीघ्र ऐसा स्थान जहां पश्चात्वर्ती मतदान कराया जाएगा और उक्त मतदान के लिए समय और यथास्थिति तारीख या तारीखें नियत करेगा।

(4) उपखंड (3) के अधीन नियत मतदान का स्थान, तारीख या तारीखें और समय प्रभावित सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से और भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी।

(5) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन में डाले गए मतों की गणना के लिए उस समय तक प्रस्थान

नहीं करेगा जब तक कि उस निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान बूथों पर मतदान पूर्ण न हो जाए।

(6) मतदान अधिकारी दिन की समाप्ति पर और यदि मतदान एक से अधिक दिनों के लिए है तो प्रत्येक दिन की समाप्ति पर मतदान बूथ उपखंड (1) के अधीन नियत समय पर बंद करेगा और उस समय के पश्चात् किसी भी मतदाता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा :

परन्तु यह कि बूथ बंद होने के पूर्व वहां उपस्थित कोई मतदाता अपना मत अभिलिखित करने का हकदार होगा।

(7) मतदान बंद होने के पश्चात् या यदि मतदान एक से अधिक दिनों के लिए है, तो प्रत्येक दिन मतदान बंद होने के पश्चात्, मतदान अधिकारी, यथासाध्य शीघ्र, किसी अभ्यर्थी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो वहां उपस्थित हों, अपनी स्वयं की मुद्रा और ऐसे अभ्यर्थियों या प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मुद्रा, जो ऐसी इच्छा प्रकट करें, मतपेटी या मतपेटियों पर लगाएगा।

स्पष्टीकरण :— जहां मतदान का संचालन एक से अधिक दिनों के लिए हो तो किसी दिन प्रयुक्त मतपेटी या मतपेटियां, प्रत्येक दिन की समाप्ति पर मुहरबंद की जाएंगी और अगले दिन मतदान के प्रयोजन के लिए एक नई मतपेटी का प्रयोग किया जाएगा।

(8) मतदान अधिकारी, मतदान बंद होने पर या प्रत्येक दिन इसके बंद होने पर निम्नलिखित अलग-अलग पैकेट बनाएगा,

- (i) अप्रयुक्त मतपत्र ;
- (ii) वापस किए गए मतपत्र ;
- (iii) निविदत्त मत ;
- (iv) मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची की चिह्नित प्रति ; और
- (v) कोई अन्य पत्र जिसे रिटर्निंग आफिसर ने मुद्राबंद लिफाफे में रखने का निदेश दिया हो।

और ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मुद्रा, जो ऐसी इच्छा प्रकट करें, लगाएगा।

(9) जहां मतदान एक से अधिक दिनों में कराए जाने की व्यवस्था हो, वहां मतदान अधिकारी एक दिन का मतदान समाप्त होने पर मतपेटी और ऐसे पैकेटों की सुरक्षित अभिरक्षा की और अगले दिन मतदान प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगा।

(10) जहां मतदान एक से अधिक दिनों में कराए जाने की व्यवस्था हो, वहां आने वाले दिन पर मतदाताओं के लिए मतदान बूथ खोले जाने के तुरन्त पूर्व, मतदान अधिकारी, किसी अभ्यर्थी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो वहां उपस्थित हों, उपखंड (8) के अनुसार लगाई गई मुद्रा या मुद्राओं को अपने, अभ्यर्थियों या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुद्राओं की जांच के बाद उस दिन उपयोग किए जाने के लिए हटाएगा।

(11) पूर्व में निर्दिष्ट मतपेटी और पैकेट के साथ प्राप्त, जारी किए गए, जारी नहीं किए

गए, वापस किए गए मतपत्रों की कुल संख्या और मतपेटी में तथा पैकेटों में जाने वाले मतपत्रों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण भी होगा। यह विवरण रिटर्निंग आफिसर को अग्रेषित किया जाएगा।

(7) **मतपेटियों आदि का परिवहन और उनकी अभिरक्षा –**

(1) रिटर्निंग आफिसर और मतदान अधिकारी मतपेटियों और अन्य कागजात की सुरक्षित अभिरक्षा तथा नियम 6 में निर्दिष्ट सभी पैकेटों या पेटियों और अन्य कागजात के संस्थान के मुख्यालय तक सुरक्षित परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।

(2) मतों की गणना प्रारम्भ होने तक उप खंड (1) में निर्दिष्ट सभी वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रिटर्निंग आफिसर जिम्मेदार होगा।

अनुसूची 7

डाक द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया

(नियम 30 देखिए)

1. **रिटर्निंग आफिसर डाक द्वारा मतपत्र भेजेगा –**

डाक द्वारा मत प्राप्त होने के लिए अधिसूचित अंतिम तारीख और समय से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व, रिटर्निंग आफिसर डाक द्वारा मतदान करने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं को स्पीड या रजिस्ट्रीकृत डाक से मतपत्र एक पत्र के साथ, भेजेगा जिसमें वह रीति जिसमें मत अभिलिखित किए जाएंगे, वह रीति जिसमें अभिलिखित मत पत्र वापस किए जाएंगे, स्पष्ट की गई हों और वह तारीख और समय विनिर्दिष्ट किया गया हो जिस तक वह रिटर्निंग आफिसर को प्राप्त हो जाने चाहिए :

परन्तु यह कि भारत के बाहर निवास करने वाले मतदाताओं के मामले में, डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त होने के लिए अधिसूचित अंतिम तारीख और समय से कम से कम तीस दिन पूर्व मतपत्र स्पीड या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजे जाएंगे।

2. **अपरिदत्त और नए मतपत्र जारी करना**

जहां उपखंड (1) के अधीन डाक द्वारा भेजे गए मतपत्र और अन्य संबंधित कागजात पारेषण में क्षतिग्रस्त हो जाएं या किसी कारणवश अपरिदत्त रूप में वापस आ जाएं या रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाए कि डाक द्वारा मतपत्र सही रूप में नहीं भेजे गए थे, तो रिटर्निंग आफिसर, उन्हें स्पीड या रजिस्ट्रीकृत डाक से पुनः जारी करेगा या मतदाता के इसी रूप में आवेदन करने तथा क्षतिग्रस्त होने या अपरिदत्त का पर्याप्त प्रमाण देने पर मतदाता को परिदत्त करेगा।

3. **मत अभिलिखित होने के बाद डाक मत पत्रों की वापसी**

(1) उपरोक्त खंड 1 के अधीन प्राप्त डाक मत पत्र, यदि मतदाता मतदान करने का इच्छुक है, उसके द्वारा नीचे लिखी रीति में वापस किए जाएंगे :-

(क) भारत में निवास करने वाले मतदाता के लिए, नियम 20 में विनिर्दिष्ट रीति में उस पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् खंड 1 के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में इस प्रयोजन के लिए पूर्व स्टांपित लिफाफे में रख कर उस स्थान से जहां

इसे रिटर्निंग आफिसर ने खंड 1 के अधीन, मतपत्र भेजा था, रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा जिससे कि यह इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पूर्व पहुंच जाए। अभिलिखित मतपत्र अंतर्विष्ट करने वाले लिफाफे के साथ अनुमोदित प्ररूप में मतदाता द्वारा की गई घोषणा भी होगी ;

(ख) भारत के बाहर निवास करने वाले मतदाता के लिए, नियम 20 में विनिर्दिष्ट रीति में उस पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् और खंड 1 के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए एक पूर्व स्टांपित लिफाफे में रखकर साधारण डाक, स्पीड डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक से उस देश से जहां रिटर्निंग आफिसर ने खंड 1 के अधीन मतपत्र भेजे थे, रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा जिससे कि यह इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पूर्व पहुंच जाए। अभिलिखित मतपत्र अंतर्विष्ट करने वाले लिफाफे के साथ अनुमोदित प्ररूप में मतदाता द्वारा की गई घोषणा भी होगी ;

(2) मतपत्र अंतर्विष्ट करने वाला ऐसा लिफाफा जो रिटर्निंग आफिसर के पास उसके द्वारा खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर या उसके पूर्व नहीं पहुंचता है तो मतों की गणना करते समय उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी लिफाफों पर रिटर्निंग आफिसर वह रीति लिखेगा जिसमें वे उसको वापस प्राप्त हुए जिसके अंतर्गत लिफाफे का उपबंधित प्रयोजन से भिन्न प्रयोग, अपेक्षित ढंग से भिन्न ढंग से प्रेषण और प्राप्ति की तारीख तथा समय हैं और वे ऐसे सभी लिफाफों को एक साथ एक पैकेट में रखेगा।

(3) लिफाफों के संबंध में, जहां तैनाती स्थान की डाक टिकट स्पष्ट या अर्थ निकालने योग्य नहीं है, वहां रिटर्निंग आफिसर द्वारा उस स्थान या देश को सुनिश्चित या अवधारित करने के संबंध में लिया गया विनिश्चय, जहां से मतपत्र वाला लिफाफा प्राप्त हुआ है, अंतिम होगा।

(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे सभी लिफाफों पर ध्यान नहीं देगा जिसमें दो या अधिक सदस्यों के मत पत्र अंतर्विष्ट हैं और एक तथा उसी लिफाफे में डाक से भेजे गए हैं।

(5) यदि लिफाफे पर और इस अनुसूची के खंड 3 में निर्दिष्ट प्ररूप पर दिए गए मतदाता के हस्ताक्षर, संस्थान के अभिलेख में यथा उपलब्ध किसी हस्ताक्षर से मेल नहीं करते तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे लिफाफे पर जिसमें मतपत्र अंतर्विष्ट हैं, ध्यान नहीं देगा।

(6) रिटर्निंग आफिसर, मतों की गणना प्रारम्भ होने तक उसके द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे सभी लिफाफों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिनमें डाक मतपत्र अंतर्विष्ट हैं।

अनुसूची 8

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया

(नियम 35 देखिए)

1. परिभाषाएं

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) “बने रहने वाला अभ्यर्थी” से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर गणना के समय मतदान से अपवर्जित नहीं किया गया है ;

(ख) “निःशेषित पत्र” से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए गणना के समय आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है :

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में मतपत्र की बाबत यह समझा जाएगा कि वह निःशेषित है, जिसमें -

(i) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों, एक ही अंक से चिह्नित हैं और अधिमान के क्रम में अनुगामी हैं; या

(ii) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह बने रहने वाला हो या न हो, ऐसे अंक से, जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक का क्रमवर्ती अनुगामी अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से चिह्नित है;

(ग) यथास्थिति, “प्रथम अधिमान” से संख्या 1 अभिप्रेत है, “द्वितीय अधिमान” से संख्या 2 अभिप्रेत है और “तृतीय अधिमान” से संख्या 3 अभिप्रेत है (अरबी या रोमन अंकों में या शब्दों में) जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखे हैं और इसी भांति आगे भी अभिप्रेत हैं;

(घ) “मूल मत” से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिसमें ऐसे अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित है;

(ङ) “अन्तरित मत” से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जिसका मूल्यांक या जिसके मूल्यांक का भाग गणना के समय ऐसे अभ्यर्थी के नाम आकलित है और जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिसपर ऐसे अभ्यर्थी के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिलिखित है;

(च) “अधिशेष” से वह संख्या अभिप्रेत है जितनी से गणना के समय किसी अभ्यर्थी के मूल और अन्तरित मता का मूल्यांक कोटे के आधिक्य में हैं;

(छ) “अनिःशेषित पत्र” से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित है ।

2. मतों की गणना

(1) नियम 32 के अधीन नियत तारीख, समय और स्थान पर, रिटर्निंग आफिसर, किसी निर्वाचन क्षेत्र की बाबत मतों की गणना के प्रयोजन के लिए उल्लिखित क्रम में निम्नलिखित चरणों का पालन करेगा :-

(क) (i) नियम 30 और अनुसूची 7 के अनुसार उसके द्वारा प्राप्त केवल डाक मतपत्रों वाले लिफाफे खोलेगा और प्रत्येक लिफाफे से मतपत्र निकालेगा और एक विवरण में उनकी संख्या अभिलिखित करेगा, तथा उन मतपत्रों का एक पृथक पैकेट बनाएगा;

(ii) ऐसे मतपत्र वाले लिफाफे एक तरफ रखेगा जो नियम 30 और अनुसूची 7 के अनुसार उसने प्राप्त किए हैं या जिनकी बाबत उसने अनुसूची 7 के खंड 3 के उपखंड (3) के अधीन उसने विनिश्चय किया है:

परन्तु रिटर्निंग आफिसर गणना में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उनका यह समाधान करने के लिए डाक द्वारा प्राप्त मतपत्रों वाले लिफाफों का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करेगा कि वे ठीक हैं किंतु उन लिफाफों पर कोई कार्रवाई नहीं करने देगा ।

(ख) गणना में उपस्थित अभ्यर्थियों व उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उनका यह समाधान करने के लिए मतदान अधिकारियों के प्राप्त मतपेटियों और पैकेटों और उनकी मुद्राओं का निरीक्षण करने का अवसर अनुज्ञात करेगा कि वे ठीक हैं; और

(ग) निम्नानुसार कार्यवाही करेगा :-

(i) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मतपेटियां और पैकेट, जो प्राप्त हुए हैं, ठीक हैं तो मतपेटियों में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना प्रारम्भ करेगा ।

(ii) यदि वह यह पाता है कि किसी मतपेटी के साथ छेड़-छाड़ की गई है तो वह निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसी मतपेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और ऐसे मतपत्रों का एक पृथक अभिलेख रखेगा ।

(iii) ठीक पाई गई मतपेटियों को खोला जाएगा और उनमें से मतपत्र बाहर निकाले जाएंगे और उनकी गणना की जाएगी तथा उनकी संख्या एक विवरण में अभिलिखित की जाएगी । इनके साथ उपखंड 1(क) के अधीन विचार किए जाने वाले डाक मतपत्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा ।

(iv) मतपत्रों की जांच-पड़ताल की जाएगी तथा अविधिमान्य मतपत्र को अस्वीकृत किया जाएगा ।

(v) कोई मत पत्र अस्वीकार करने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मतपत्र का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करेगा किंतु इसे या अन्य मतपत्र को भौतिक रूप से स्पर्श करने या उसपर कार्यवाई करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(vi) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर, जो वह अस्वीकार करता है शब्द "अस्वीकृत" पृष्ठांकित करेगा तथा अपने हाथ से या रबड़ स्टॉप के माध्यम से अस्वीकृति के आधार संक्षेपाक्षर रूप में लिखेगा और ऐसे पृष्ठांकन को आद्याक्षरित करेगा ।

(vii) इस नियम के अधीन अस्वीकृत मतपत्रों का एक साथ बंडल बनाया जाएगा ।

(viii) शेष मतपत्रों को वह प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमानों के अनुसार पार्सलों में विभाजित करेगा ।

(ix) फिर वह प्रत्येक पार्सल में मतपत्रों की संख्या की गणना करेगा ।

(2) यहां इसके पश्चात् अधिनियमित खंडों का अनुपालन करते हुए रिटर्निंग आफिसर, -

(क) सभी भिन्नों पर ध्यान नहीं देगा; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित अधिमानों की उपेक्षा करेगा जो पहले ही निर्वाचित हैं या मतदान से अपवर्जित हैं ।

(3) यहां इसके पश्चात् अधिनियमित उपखंडों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक विधिमान्य पत्र का मूल्यांक एक सौ माना जाएगा ।

(4) रिटर्निंग आफिसर, सभी पार्सलों में मतपत्रों के मूल्यांकों को साथ जोड़ेगा और योग को भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक आधिक्य वाली संख्या से विभाजित करेगा

और भागफल में एक जोड़ने से प्राप्त संख्या किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित करने के लिए पर्याप्त होगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् कोटा कहा जाएगा) ।

(5) यदि किसी समय, निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों की संख्या को कोटा प्राप्त होता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित माना जाएगा और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(6) (i) कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसके पार्सल के मूल्यांक प्रथम अधिमान की गणना में कोटे के बराबर या अधिक हैं, निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूल्यांक कोटे के बराबर है तो मतपत्रों पर अंतिम रूपेण कार्यवाही करके एक ओर रख दिया जाएगा ।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में पत्रों का मूल्यांक कोटे से अधिक है तो अधिशेष, निम्नलिखित उपखंड में विनिर्दिष्ट रीति में, मतदाता के अधिमान के क्रम में मतपत्रों में अनुगामी के रूप में उपदर्शित बने रहने वाले अभ्यर्थी को अन्तरित कर दिया जाएगा ।

(7) (i) जब भी इन उपखंडों में विनिर्दिष्ट किसी संक्रिया के परिणामस्वरूप, किसी अभ्यर्थी के पास अधिशेष है, तो वह अधिशेष इस उपखंड के उपबंधों के अनुसार अंतरित हो जाएगा ।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के पास अधिशेष है तो अधिकतम अधिशेष में पहले कार्यवाही होगी और दूसरों से उनके परिमाण के क्रम के अनुसार कार्यवाही होगी :

परन्तु प्रथम गणना में उद्भूत प्रत्येक अधिशेष के संबंध में दूसरी गणना में उद्भूत अधिशेष के मुकाबल में पहले कार्यवाही होगी और इसी क्रम में अनुवर्ती अधिशेषों के संबंध में कार्यवाही होगी ।

(iii) जहां दो या अधिक अधिशेष बराबर हों, वहां रिटर्निंग आफिसर यहां इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के अनुसार यह विनिश्चित करेगा कि किस के संबंध में पहले कार्यवाही हो ।

(iv)(क) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष, जो अंतरित किया जाना है केवल मूल मतों से ही उद्भूत हुआ है तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के पार्सल में के, जिसका अधिशेष अन्तरित किया जाना है, सब मतपत्रों की जांचेपड़ताल करेगा, अनिशेषित पत्रों को उनमें अभिलिखित अनुगामी अधिमान के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा । वह अनिशेषित मतपत्रों का एक पृथक उप-पार्सल भी बनाएगा ।

(ख) वह हर एक उप-पार्सल में के मतपत्रों का और सब अनिशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा ।

(ग) यदि अनिशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अधिशेष के बराबर है या उससे कम है तो वह सभी अनिशेषित मतपत्रों को उस मूल्यांक पर जिस पर वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे, जिसका अधिशेष अंतरित किया जा रहा है, अन्तरित करेगा ।

(घ) यदि अनिशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अधिशेष से अधिक है तो वह अनिशेषित मतपत्रों का उप-पार्सलों में अन्तरण करेगा और वह मूल्यांक जिसपर हर एक मतपत्र

अन्तरित किया जाएगा, अधिशेष को अनिशेषित मतपत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चित किया जाएगा ।

- (v) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष, जो अन्तरित किया जाना है, अन्तरित और मूल मतों से उद्भूत हुआ है तो, रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को सबसे अंत में अंतरित उप-पार्सल में के सब मतपत्रों की पुनः जांच-पड़ताल करेगा, अनिशेषित मतपत्रों पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा । वह सब उप-पार्सलों के संबंध में ऐसी रीति में कार्यवाही करेगा जैसी इस उपखंड की मद (iv) में निर्दिष्ट उप-पार्सलों की दशा में उपबंधित है ।
- (vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतरित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले से ही मतपत्रों में उप-पार्सल के रूप में मिला दिए जाएंगे ।
- (vii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल या उप-पार्सल में के उन सब मतपत्रों को, जो इस उप-नियम के अधीन अन्तरित नहीं किए गए हैं, अंतिमरूपेण कार्यवाही कर अलग रख दिया जाएगा ।
- (8)(i) यदि सब अधिशेष को ऐसे अंतरित कर दिए जाने के पश्चात् जैसे इससे पूर्व निदेशित है, निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है तो रिटर्निंग आफिसर मतदान में के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उनके अनिशेषित मतपत्रों को बने रहने वाले अभ्यर्थियों के बीच उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हैं । किसी निःशेषित मतपत्रों के संबंध में अंतिम रूपेण कार्यवाही कर उन्हें अलग रखा जाएगा ।
- (ii) अपवर्जित अभ्यर्थी के मूल मतों को अंतर्विष्ट करने वाले मतपत्र, सर्वप्रथम अन्तरित किए जाएंगे और प्रत्येक मतपत्र का अन्तरण मूल्यांक एक सौ होगा ।
- (iii) अपवर्जित अभ्यर्थी के अन्तरित मतों को अंतर्विष्ट करने वाले मतपत्र तब अंतरण के उस क्रम में, जिसमें, और उस मूल्यांक पर जिसमें उसने उन्हें अभिप्राप्त किया था, अन्तरित किए जाएंगे ।
- (iv) ऐसे हर एक अंतरण की बाबत यह समझा जाएगा कि वह पृथक अन्तरण है ।
- (v) इस उपखंड द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया मतदान में निम्नतम अभ्यर्थियों में से एक के पश्चात् दूसरे के उत्तरोत्तर अपवर्जनों में तब तक बार-बार की जाएगी जब तक ऐसी रिक्ति या तो कोटे सहित अभ्यर्थी के निर्वाचन द्वारा या इसके पश्चात् उपबंधित रूप में भर न ली जाए ।
- (9) यदि इस खंड के अधीन अंतरण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा अभिप्राप्त मतों का मूल्यांक कोटे के बराबर है या अधिक है तो अंतरण कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी किंतु कोई अन्य मतपत्र उसे अंतरित नहीं किए जाएंगे ।
- (10)(i) यदि इस खंड के अधीन कोई अंतरण पूर्ण होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटे के बराबर या अधिक हो तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।
- (ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटे के बराबर है तो उसके समस्त मतपत्रों को, जिनपर ऐसे मत अभिलिखित किए गए हैं, अंतिम रूपेण कार्यवाही करके एक ओर रख दिया जाएगा ।

- (iii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटे से अधिक है तो उसका अतिशेष यहां पूर्व उपबंधित रीति में किसी अन्य अभ्यर्थी के अपवर्जन के पूर्व वितरित किया जाएगा ।
- (11)(i) जब बने रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घटकर शेष न भरी जाने वाली रिक्तियों के बराबर आ जाती है तो बने रहने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा ।
- (ii) जब केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाती है और बने रहने वाले किसी एक अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक किसी अन्तरित न किए गए अधिशेष सहित अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थियों के सभी मतों के कुल मूल्यांक के आधिक्य में है तब वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।
- (iii) जब केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाती है और बने रहने वाले केवल दो अभ्यर्थी हैं और उन दोनों में हर एक के मतों का मूल्यांक बराबर है और अन्तरण योग्य कोई अधिशेष नहीं रहा है तब एक अभ्यर्थी को अनुगामी पश्चात्पूर्वी उपखंड के अधीन अपवर्जित किया जाएगा और दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।
- (12) जब वितरित किए जाने के लिए एक से अधिक अधिशेष हों, दो या अधिक अधिशेष बराबर हैं, या यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाए और दो या अधिक अभ्यर्थियों के मतों के मूल्यांक समान हैं और वे मतदान में निम्नतम हैं तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों को विचार में लिया जाएगा और जिस अभ्यर्थी को न्यूनतम मूल मत मिले हैं, यथास्थिति, पहले अपने अधिशेष वितरित करवाएगा या पहले अपवर्जित होगा । यदि उनके मूल मतों का मूल्यांक बराबर है तो रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का अधिशेष वितरित किया जाए या किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाए ।

3. टाई की स्थिति में प्रक्रिया

(1) जब मतों की गणना के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच टाई विद्यमान होनी पाई जाए और एक मत के बढ़ जाने से उनमें से एक निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो, तब उस व्यक्ति की बाबत जिसने प्रथम अधिमान वाले मत अधिक संख्या में प्राप्त किए हैं यह समझा जाएगा कि उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है और उसे सम्यक्तः निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(2) यदि उपखंड (1) के प्रवर्तन के पश्चात् भी किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करना संभव न हो तो टाई में अभ्यर्थियों के बीच लॉट निकाली जाएगी और सफल अभ्यर्थी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त मत प्राप्त कर लिया है और उसे सम्यक्तः निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

4. पुनर्गणना के लिए उपबंध

कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मतों की गणना के दौरान या तो मतों के (चाहे अधिशेषित हो या अन्यथा) किसी अंतरण के प्रारंभ के पूर्व या समाप्ति के पश्चात् किसी समय रिटर्निंग आफिसर से सब अभ्यर्थियों या किन्हीं अभ्यर्थी के मतपत्रों की (जो ऐसे मतपत्र नहीं हैं जिन्हें इस आधार पर कि उनकी बाबत किसी पूर्व अंतरण में अंतिम रूपेण कार्यवाही कर दी गई है और अलग रख दिए गए हैं) पुनः जांच-पड़ताल और

पुनर्गणना के लिए ऐसी पुनर्गणना के अनुरोध के लिए कारणों सहित, प्रार्थना कर सकेगा और यदि रिटर्निंग आफिसर यह पाता है कि पुनर्गणना के लिए दिए गए कारण पर्याप्त हैं तो वह उनकी पुनः पड़ताल और पुनर्गणना कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी पुनर्गणना केवल तुरन्त पूर्व की गणना तक सीमित होगी :

परन्तु यह और कि पुनर्गणना, गणना के किसी राउंड की समाप्ति पर केवल एक बार की जाएगी ।

[फा. सं. 5/27/2006-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2006

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (2) of Section 38A read with clause (a) of Sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These Rules may be called the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these Rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) 'Act' means the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);
 - (b) "Approved Form" means form approved by the Council for use for a specific purpose under these Rules:
Provided that if any form has not yet been approved by the Council, after coming into force of these Rules, then the appropriate form laid down for the same purpose before coming into force of these Rules shall be the approved form;
 - (c) "Returning Officer" means the Secretary of the Council appointed under section 16 of the Act, or, in case the post of Secretary is vacant, any officer of the Institute designated by the Council for the purpose of conduct of elections.
 (2) Words and expressions used but not defined in these Rules and defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
3. **Regional Constituencies.**— For the purpose of constitution of the Council in pursuance of clause (a) of sub-section (2) of section 9, regional constituencies shall comprise of such states or Union Territories as listed out in Schedule 1 to these Rules.
4. **Dates of Elections.**— (1) The election to the Council shall be held on a date or dates to be determined by the Council, which shall, in any case, not be less than one month

before the expiry of the term of the existing Council:

Provided that if elections cannot be conducted, in extraordinary circumstances, within the time period permitted under this sub-rule, the Central Government, on a specific request of the Returning Officer or otherwise, may postpone the date or dates of election, which in any case shall not be after the expiry of the term of the existing Council.

(2) Subject to provision of sub-rule (1), the Returning Officer shall notify in the Gazette of India at least three months before the date or dates of election so determined under sub-rule (1), the dates fixed for the following stages of election of members to the Council, namely:-

- (a) the last date and time for receipt of nominations, which shall not be less than 21 days from the date of the notification;
- (b) date or dates and place of scrutiny of nominations, the last day of which shall not be more than fifteen days from the last date for receipt of nominations fixed under clause (a);
- (c) the last date and time for withdrawal of nominations, which shall be ten days from the last date for scrutiny of nominations fixed under clause (b);
- (d) the date or dates of polling;
- (e) the last date for receipt of applications for permission to vote by post under rule 28;
- (f) the last date and time for receipt by post of ballot papers back from voters;
- (g) the date or dates of counting;
- (h) the date of declaration of results.

(3) If, in the opinion of the Returning Officer, it becomes necessary to change for compelling reasons any date or dates notified under sub-rule (2), he may notify a fresh date or dates, subject to provisions of sub-rule (1), in the Gazette of India:

Provided that such a notification shall be issued at least ten days before the revised date or dates, except for change in dates under sub-clauses (g) and (h) of sub-rule 2.

(4) If any of the last date so notified in sub-rule (2) or sub-rule (3), not being the date or dates of polling, is subsequently declared as a holiday by the Central Government, the last date so fixed shall be construed as the immediately next working day.

5. **Members eligible to vote.**- Subject to other provisions of these rules, a member, whose name is borne on the Register on the 1st day of October of the year immediately previous to the year in which the election to the Council is to take place, shall be eligible to vote in the election from the regional constituency within whose territorial jurisdiction his professional address falls on the said date:

Provided that his name has not been removed from the Register on the date of publication of the list of voters :

Provided further that if the professional address is not borne on the Register on the relevant date, the residential address borne on the Register shall determine his regional constituency :

Provided also that, in the case of members having their professional addresses outside India and eligible to vote, their regional constituencies shall be determined according to their professional addresses in India registered immediately before they went abroad or the residential addresses in India borne on the register of members on the relevant date, whichever is later.

6. **List of voters.**- (1) At least three months before the date of election, the Returning Officer shall publish a list of members eligible to vote, as defined in rule 5, as per Schedule 2 to these Rules.

(2) Subject to the provisions of these Rules, the address of a member published in the list of voters shall be final for determining the manner in which he shall be entitled to cast his vote, the constituency and the polling booth to which he shall belong for the purpose of casting his vote.

(3) The list of members eligible to vote shall be made available at the Headquarters, relevant Regional Councils and their relevant chapters on payment of such price as may be fixed by the Council.

(4) The inclusion of the name of a member in the list of members eligible to vote shall not confer an absolute right to vote at the election which shall be subject to the other provisions of these Rules, Regulations or the Act.

(5) An announcement about the availability of the list, as per sub-rule (3), shall be put on the web-site of the Institute, Notice Board of the Council, the Notice Board of the Regional Council concerned, as well as the Notice Board(s) of the chapters of Regional Council concerned, wherever these exist.

(6) If a clerical mistake or omission is detected in the list of members eligible to vote, the Returning Officer may rectify the same at any time by issue of a suitable corrigendum.

7. **Members eligible to stand for election.**- Subject to other provisions of these Rules, a member who is a fellow on the first day of October of the year immediately previous to the year in which an election is to take place and whose name continues to be borne on the Register on the last date of scrutiny of nominations under sub-rule (2) of rule 4, shall be eligible to stand for election to the Council from the regional constituency in which he is eligible to vote:

Provided that no person shall be eligible to stand for election to the Council, if he is not found to be eligible under:-

- (a) he has been found guilty of any professional or other misconduct and his name is removed from the register or he has been awarded penalty of fine as provided in proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 9 of the Act,
- (b) he is holding a post under the Central or State Government as provided in sub-section (3) of section 9 of the Act,
- (c) he has been auditor of the Institute during the last three year as provided in sub-section (4) of section 9 of the Act,
- (d) he has held the office for more than three consecutive terms as provided in first proviso to section 10 of the Act, or
- (e) he has been elected as President under sub-section (1) of section 12 of the Act as provided in second proviso to section 10 of the Act.

For the purpose of this rule,-

- (i) the penalties awarded to a person before coming into force of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006 or penalties awarded to a person after coming into force of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006 for offences committed before the coming into force of the same, shall also be taken account for the purpose of attracting disqualification under clause (a) of the proviso above.
- (ii) a person drawing salary from the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State, as the case may be, or from any body corporate or any organization where the Central government or the state government own individually or jointly a majority stake, shall be deemed to be a person holding a post under the Central Government or the State Government, as the case may be, for the purpose of attracting of disqualification under clause (b) of the proviso above.
- (iii) for a person who has been the auditor of the Institute before coming into force of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006, the three year period limitation provided under sub-section (4) of section 9 of the Act shall also include the period between his ceasing to be an auditor and the coming into force of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006.
- (iv) the number of term(s) of Office held by a person as a member of the Council either under clause (a) or under clause (b) or partly under clause (a) and partly under clause (b) of sub-section (2) of section 9 of the Act, prior to coming into force of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006, shall not be taken into account for reckoning of the two consecutive terms for the purpose of disqualification under clause (d) of the proviso above.
- (v) the holding of the office of the President of the Institute under sub-section (1) of section 12 of the Act, prior to coming into force of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006, shall also be taken into account for the purpose of attracting disqualification under clause (e) of the proviso above.
8. **Number of members to be elected.**- The number of members to be elected from each regional constituency shall be calculated as per the procedure described in Schedule 3.
9. **Nominations.**- (1) At least 3 months before the date of election, the Council shall publish in the Gazette of India a notice stating the number of members to be elected from each regional constituency and calling for nominations of candidates for election by the date and time notified vide sub-rule (2) of rule 4.
- (2) The maximum number of nominations that can be submitted by a candidate shall be 10 only:
- Provided that, in the event of receipt of more than 10 nominations, the first 10 nominations determined, on the basis of date and time of receipt, shall be taken into consideration.
- (3) The nomination of a candidate shall be :-
- (i) in the approved form duly signed by the candidate and by one proposer and one seconder both of whom shall be persons entitled to vote in the election in the relevant regional constituency; and

- (ii) delivered along with requisite fee(s), security deposit and other papers as are laid out in these Rules to the Returning Officer by name not later than 6 P.M. on the notified date:

Provided that an acknowledgement of delivery shall be issued by the Returning Officer or by a person authorized by him on receipt of nomination form mentioning the time and date of receipt of nomination form.

(4) The nomination shall be valid only if it is accompanied by a statement signed and verified by the candidate containing information as provided in Schedule 4.

10. **Fee for election.-** (1) A candidate for election shall pay such fee as may be fixed by the Council from time to time which shall not in any case exceed Rs.50,000/-, irrespective of the number of nominations.

(2) The fee shall be paid by a demand draft drawn in favour of Secretary and payable at Kolkata.

Explanation: The fee payable and method of payment of such fee shall be included in the notification issued under sub-rule (1) of rule 9.

(3) A candidate whose nomination is held to be invalid shall be entitled to receive refund of fifty percent of the fee payable.

11. **Security Deposit.-** (1) A candidate for election, in addition to fee as provided in rule 10, shall pay, irrespective of the number of nominations filed or specified under rule 9, an amount of Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) as security deposit, which shall be forfeited if he fails to secure not less than 2% of the original votes as defined in rule 35 polled in the concerned regional constituency.

Explanation: The method of payment of security deposit shall be specified in the notification issued under sub-rule (1) of rule 9.

12. **Scrutiny of nominations.-** (1) The Council shall appoint for each election a Panel for the scrutiny of the nomination papers of all the candidates.

(2) The Panel shall consist of three persons of whom one shall be the Returning Officer and the other two shall be persons nominated by the Council, from among the members of the Council referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 9 of the Act, of which one shall be an officer of the Central Government and the other shall not be a member of the Institute, provided that if one or more of such members are not available or are unwilling to act, then any other officer or officers of the Central Government, as the Central Government may nominate for the purpose.

(3) A notification containing the names of the members of the Panel shall be issued before the last date for the receipt of nomination for the election for which it is appointed.

(4) The term of the Panel shall end with the conclusion of the polling for which it is appointed.

(5) The Panel shall have the power to regulate its procedure in such manner as it considers just and expedient.

(6) The quorum of the panel for the transaction of its business shall be two.

(7) In case a vacancy arises in the Panel by reason of one or more members of the Panel being unable to act for any reason, the vacancy shall be filled up by the Returning Officer from among the members of the Council referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 9 of the Act, provided he is not a member of the Institute, and provided that if one or more of such members are not available or are unwilling to act, then by any other officer or officers of the Central Government, as the Central Government may nominate for the purpose.

(8) The Panel shall scrutinize the nomination papers of all the candidates and shall endorse on each nomination paper its decision, whether it accepts or rejects the nomination.

(9) The Panel shall record a brief statement of its reasons, if it rejects a nomination.

(10) The Panel shall reject a nomination if it is satisfied:-

- (i) that the candidate was ineligible to stand for election under rule 7; or
- (ii) that the proposer or the seconder was not qualified to subscribe to the nomination of the candidate in the approved Form; or
- (iii) that the signature of the candidate or of the proposer or the seconder is not genuine; or
- (iv) that there has been a failure to comply with the provisions of rule 9, rule 10 or rule 11.

Explanation I. - The Panel shall not reject a nomination paper on the ground of a technical defect which is not of a substantial character.

Explanation II. - The rejection of the nomination of a candidate by reason of any irregularity in respect of that nomination shall not be a bar to the acceptance of another nomination submitted under rule 9 and is also valid in respect of the same candidate.

Explanation III. - If a proposer or a seconder incurs a disability by reason of the operation of the provisions of the Act, Rules or Regulations made thereunder subsequent to the date of signing the nomination, it shall not invalidate the nomination.

(11) In a case where the nomination or, if more nominations than one were filed, all the nominations of a candidate has or have been refused or rejected, the Returning Officer shall give notice of the decision of the Panel together with a brief statement of the reason(s) therefor to the candidate concerned by registered/speed post.

13. Preparation of lists of valid nominations.- (1) On completion of the scrutiny of the nominations, the Returning Officer shall forthwith prepare a list of valid nominations

for each constituency and cause a copy of the list to be sent by registered/speed post to each candidate from that constituency who had filed his nomination:

Provided that such list should be sent at least ten days before the last date of withdrawal of nominations fixed under clause (c) of sub-rule 2 of rule 4.

(2) The list shall contain full names in alphabetical order and the addresses, as published in the list of voters, of the validly nominated candidates for each constituency:

Provided that if the names of two or more candidates are same, then person with earlier date of enrollment as a member shall be included in the list before other person or persons having the same name but having a subsequent date of enrollment.

14. **Withdrawal of candidature.-** (1) A candidate may withdraw his candidature by giving a notice in his own hand and duly signed by him and have it delivered to the Returning Officer anytime before 6.00 P.M. of the last date notified vide sub-rule (2) of rule 4.

(2) No candidate who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-rule (1) shall be allowed to cancel or withdraw that notice.

(3) Within five days of the last date notified vide sub-rule (2) of rule 4, the list of such candidates who have withdrawn their candidature from a regional constituency shall be intimated by the Returning Officer to the other candidates standing for election from the same constituency.

(4) A candidate who has withdrawn his candidature in accordance with sub-rule (1) shall be entitled to the refund of fifty percent of the fee paid by him under sub-rule (1) and (2) of rule 10 and the full security deposit under rule 11.

15. **Intimation of final list of nominations to candidates and voters.-** (1) The Returning Officer shall omit from the list of valid nominations the names of candidates who have withdrawn their candidature and send the final list of nominations for each constituency to all the candidates for that constituency by registered or speed post and to the voters of that constituency by ordinary post.

(2) The list shall be put on the Notice Board of the Institute, Website of the Institute, the Notice Board of the Regional Council concerned as well as the Notice Boards of chapters of Regional Council concerned, wherever these exist.

(3) The list shall also be accompanied by such particulars of all contesting candidates of that constituency as compiled, prepared and presented in accordance with Schedule 5 by the Returning Officer from the particulars to the extent supplied by the candidates under sub-rule (4) of rule 9:

Provided he may correct any manifest errors in the particulars furnished that may have come to his notice.

(4) The particulars required to accompany the list of nominations, as aforesaid shall prominently indicate that they are compiled on the basis of the particulars furnished by the candidates under sub-rule (4) of rule 9 and that no responsibility is accepted as to the veracity of the said particulars.

16. **Election Code of Conduct.**- (1) With a view to maintain a healthy and peaceful atmosphere during the election process for ensuring a free and fair election, the Returning Officer, shall issue a Election Code of Conduct for candidates, as approved by the Council before issue of notification under sub-rule (2) of rule 4, and which shall be published on the web-site of the Institute.
- (2) The Election Code of Conduct shall contain instructions and norms to be followed by candidates and their authorized representatives appointed under these Rules during the entire election process including at the polling booth and counting centre.
- (3) The Election Code of Conduct shall come into force from the date of issue of notification under sub-rule (2) of rule 4.
- (4) The Election Code is deemed to be a guideline of the Council under item (1) of Part II of the Second Schedule of the Act and it is obligatory for each candidate to comply with the Election Code of Conduct.
17. **Death of a candidate.**- (1) If a candidate dies before the date of election but after the date fixed for the withdrawal of candidature under rule 14 and his nomination is or has been accepted as valid, the election in his constituency shall be conducted among the remaining candidates and no fresh proceedings with reference to the election of members in the constituency in which such member was a candidate shall be commenced.
- (2) The votes cast in favour of any such candidate shall be deemed to have been cast in favour of the candidate, if any, next in order of preference in the ballot paper.
- (3) If a candidate dies after the date of election but before the commencement of the counting, the votes cast in favour of any such candidate shall be deemed to have been cast in favour of the candidate, if any, next in order of preference in the ballot paper.
- (4) If the candidate dies after commencement of the counting and before declaration of result, counting of votes would continue as if the person has not died, and, if as a result of such counting he is found to be in a position to be declared elected, then the entire ballot papers would be recounted afresh, with the votes cast in favour of the candidate deemed to have been cast in favour of the candidate, if any, next in order of preference in the ballot paper.
- (5) If a candidate dies after declaration of results in which he has been declared elected, then the resultant vacancy would be deemed to be a casual vacancy under section 13 of the Act.
18. **Candidates deemed to be elected if their number is equal to or less than the number of members to be elected.**- (1) Where the number of candidates validly nominated from any constituency is equal to or less than the number of members to be elected from that constituency on the date of issue of the final list of nominations to the candidates, or where the number of candidates from any constituency becomes equal to or less than the number of members to be elected from that constituency, by reason of the death before the date of election, such candidates shall be deemed to be elected and the Returning Officer shall declare all such candidates duly elected.

(2) Where the number of such candidates from the constituency is less than the number of members to be elected from that constituency, the Returning Officer shall commence fresh proceedings for the election of the remaining member or members to be elected from that constituency.

19. **Mode of election.-** (1) The election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote.

(2) Except as otherwise provided, at every election where a poll is taken, vote shall be given by secret ballot and every voter in any election, shall cast his vote personally in the booth provided for the purpose, unless a voter is allowed in respect of any election to cast his vote by post as hereinafter provided.

Explanation: For purpose of clarity it is reiterated that a voter desiring to record his vote, shall do so in person and not by proxy.

(3) Notwithstanding anything contained in these Rules or the Regulations, the giving or recording of votes through voting machines or internet in such manner as may be determined by the Council, and with the approval of the Central Government, may be adopted in such constituency or constituencies as the Returning Officer may, having regard to the circumstances of each case, specify.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, the approval of the Central Government should be sought and obtained prior to publication of notification in the Gazette of India required under sub-rule (2) of rule 4.

20. **Admissible number of votes to a voter.-** (1) A voter shall have one vote only, and he shall have as many preferences as there are candidates.

(2) The voter in order to cast his vote:-

(a) shall place on his ballot paper the number 1 (in Arabic or Roman numerals or in words) in the square opposite the name of the candidate for whom he desires to vote; and

(b) may, in addition, place on his ballot paper the number 2, or the numbers 2 and 3 or the numbers 2, 3 and 4 (in Arabic or Roman numerals or in words) and so on in the squares opposite the names of other candidates in the order of his preference, upto the maximum number of preferences available to him under sub-rule (1).

(c) may put 'X' against whom he has not mentioned any preference

21. **Polling booths.-** (1) The Returning Officer shall set up such number of polling booths at such places as he deems necessary:

Provided that no polling booth shall be set up in any place having less than 15 members eligible to vote in accordance with rule 5 in the said place or within a distance of 50 kilometers thereof:

Provided further that if, in the opinion of the Returning Officer for compelling reasons, it becomes necessary to change the address of one or more polling booths, he may do so and inform by post or e-mail of the change to all voters who are

affected by such a change and to all candidates of the constituency in which the polling booth is situated, in addition to publishing the same on the web-site of the Institute.

(2) In a place having less than 2500 voters, there shall be one polling booth for every 500 voters or part thereof, though the allocation of voters among different polling booths in the same place need not necessarily be in groups of 500 and the polling shall be held on one day.

(3) In a place having more than 2500 voters each polling booth shall be allotted 1000 voters or part thereof and the polling shall be held on two consecutive days.

22. **Polling Officer.**- (1) The Returning Officer shall appoint a Polling Officer, preferably a officer serving under the Central or any State Government, for each polling booth and may also appoint such other persons as he may deem necessary to assist the polling officer:

Provided that no member of the Institute shall be appointed as Polling Officer.

(2) The Polling Officer shall, in addition to performing the duties imposed upon him by these Rules, be in general in charge of all arrangements at the polling booth and may issue orders as to the manner in which persons shall be admitted to the polling booth and generally for the preservation of peace and order at or in the vicinity of the polling booth.

(3) Where the Polling Officer appointed by the Returning Officer is unable to conduct the polling on one or more of the day or days fixed for the polling, he may intimate the same to the Returning Officer or any other officer nominated by the Returning Officer for the purpose, who shall appoint another person, subject to proviso of sub-rule (1), as polling officer in his place.

23. **Appointment of Election Observers.**- (1) The Returning Officer shall appoint such number of election observers, who shall not be members of the Institute, for all or any of the polling booths and for counting venue or venues, as may be deemed appropriate by him and such observers shall perform such duties as may be decided by the Council.

(2) The duties of the Election observers so decided by the Council be given due publicity among candidates and voters.

24. **Secret Chamber.**- (1) There shall be a secret chamber or chambers in each polling booth.

(2) The chamber shall be so arranged that no person may be able to see how a voter has recorded his vote.

25. **Ballot paper.**- (1) The ballot paper shall contain, in alphabetical order in English, a list of the candidates validly nominated for a constituency and shall be printed on one side only.

(2) Each such ballot paper shall contain the Institute's emblem printed in such manner, as may be decided by the Returning Officer having regard to the security considerations of the ballot paper.

26. **Presence of the candidates and their authorised representatives at the polling booths.-** (1) A candidate for election from a constituency shall be entitled to be present at the polling booths in that constituency.
- (2) He may appoint any two members as his authorised representatives for each polling booth, only one of whom shall be entitled to be present at a time on his behalf at that particular polling booth.
- (3) No appointment of an authorised representative shall be valid unless the candidate has issued a letter of authority to such a representative. The letter of authority shall be produced before the polling officer concerned, and shall include the full name, the membership number and the address of the authorised representative, as well as the number of polling booth at which he is authorised to be present.
- (4) The polling officer shall keep a record of attendance of the candidates and/or their authorised representatives, which shall be forwarded to the Returning Officer after the polling is over.
27. **Appointment of assistants.-** The polling officer may employ at the polling booth such persons not being members of the Institute as he thinks fit to assist him in identifying the voters or for any other purpose.

Explanation: It is reiterated that a person so appointed would not be entitled to discharge the duties of polling officer laid out in these Rules and would be there only to assist the Polling Officer.

28. **Eligibility to vote by post .-** (1) A member whose name is included in the list of voters and whose name is not shown under any polling booth shall be permitted to vote by post.
- (2) A member who is entitled to vote at a polling booth may be permitted at the discretion of the Returning Officer, to vote by post, if by reason of his suffering from any permanent infirmity or, in case of a member in service, a permanent change in address, he is unable to exercise his vote at the polling booth allotted to him:

Provided that in such a case he shall send an application in the approved Form for permission to vote by post under this sub-rule together with the medical certificate issued by a medical practitioner, not below the rank of a Surgeon in any Government Hospital, confirming such permanent infirmity, or, as the case may be, proof of permanent change in address duly signed by an authorized personnel of the organization where the member is employed, to the Returning Officer so as to reach him at least 60 days before the date of election and an application not received within the time specified shall not be considered.

Explanation: 'Member in service' for the purpose of this section means members of the Institute who are employed in an organization not being a firm.

- (3) A member who is residing outside India shall notwithstanding anything contained in these Rules be eligible to vote by post provided that his overseas address is registered with the Institute and has been published in the list of members eligible to vote.
- (4) Any misuse of the concession under this rule or any mis-statement or false verification in this behalf shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) of Part IV of the First Schedule of the Act if, in connection with an election to the Council of the Institute.
29. **Procedure of voting at the polling booth.-** Voting at a polling booth shall take place as per procedure laid out in Schedule 6 to these Rules.
30. **Procedure of voting by post.-** Voting by post shall take place as per procedure laid out in Schedule 7 to these Rules.
31. **Grounds for declaring ballot papers invalid.-** A ballot paper shall be invalid :-
- (a) if a voter signs his name or writes any word or figure upon it or makes any mark including a tick (✓)/cross (×), not being a mark of '×' put under clause (c) of sub-rule (2) of rule 20, upon it by which the ballot paper becomes recognisable or by which the voter can be identified; or
 - (b) if it is not printed by or under the authority of the Council or it is different in any manner from the ballot papers printed under rule 25; or
 - (c) if number 1 (in Arabic or Roman numerals or in words) is not marked on it; or
 - (d) if number 1 (in Arabic or Roman numerals or in words) is set opposite the name of more than one candidate; or
 - (e) if number 1 (in Arabic or Roman numerals or in words) and some other numbers are put opposite the name of the same candidate; or
 - (f) if it is unmarked or the marks made are void or cannot be unambiguously determined; or
 - (g) If it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.
32. **Appointment of time and date for the counting of votes.-** The Returning Officer shall, at least fifteen days before date of polling, appoint for each regional constituency, a date or dates, place and time for each such date for the counting of votes at the headquarters of the Institute and shall also give notice of such date or dates, place and time in writing to all the candidates.
33. **Appointment of scrutinisers.-** The Returning Officer may appoint two or more persons who are neither members of the Council nor candidates for election to act as

scrutinisers of the voting papers and to assist him generally in counting the votes.

34. **Presence of candidates at the time of counting of votes.-** A candidate for election shall be entitled to be present in person or to appoint a member as a representative to be present on his behalf at the time of counting of votes.
35. **Counting of votes and declaration of results.-** Counting of votes shall take place as per procedure laid down in Schedule 8.
36. **Notification of the declaration of results.-** The names of all the candidates declared elected shall be notified by the Council in the Gazette of India.
37. **Election not to be invalid due to accidental omission, etc.-** No election shall be deemed to be invalid merely by reason of any accidental omission of the name of a member from the list of members eligible to vote or any accidental mistake in not allowing him to vote or the accidental inclusion of name of a person not entitled to vote in the list of members eligible to vote or allowing him to vote, or any accidental irregularity or infirmity in the conduct of the election, including accidental omission to send or delay in sending the voting paper to a voter or the accidental non-receipt of, or delay in receipt of a voting paper, by voter.
38. **Duties and Responsibilities of the Returning Officer.-** (1) The Returning Officer shall conduct the elections in accordance with these Rules.
- (2) The Returning Officer may delegate any of the duties to be performed by him as Returning Officer to any of the other Officer or Officers of the Institute, as he may deem fit.
39. **Decision of the Returning Officer to be final.-** Unless otherwise provided in these Rules, the decision of the Returning Officer or of the officer authorised by him under these Rules shall be final in all matters pertaining to conduct of election, interpretation of these Rules and the procedure adopted for such matters which are not specifically covered by these Rules.

Explanation : For the purpose of this rule, the conduct of election shall also include the process of counting of votes and declaration of results.

40. **Vacancy in any seat not to hold up constitution of the Council.-** If for any reason any seat or seats to a regional constituency or constituencies is not filled up after the election, it would not be deemed to hold up the constitution of the Council under section 9 of the Act.
41. **Election Expenses.-** (1) No candidate, whose name has been included in the final list of nominations under rule 15, shall incur an expenditure above an amount to be fixed by the Council for this purpose.
- (2) Every such candidate shall file an account of expenses incurred for the election in a format approved by the Council, within fifteen days of notification issued under rule

36.

(3) A member shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) of Part IV of the First Schedule of the Act if, in connection with an election to the Council of the Institute, he is found to have contravened the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2).

42. **Disciplinary action against member in connection with conduct of election.-**

(1) A member shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) of Part IV of the First Schedule of the Act if, in connection with an election to the Council of the Institute, he is found to have contravened the provisions of sub-rule (2) or all or any of the clauses of sub-rule (3) or sub-rule (4) of this rule.

(2) Only one manifesto or circular shall be issued by a candidate in relation to the election in the period commencing from the date of issue of final list of nominations to the candidates.

(3) A manifesto or circular issued shall conform to the following requirements in the interest of maintaining dignity in the election, namely :-

(a) A manifesto or circular shall contain information regarding the candidate himself and shall not make any reference, directly or indirectly, to any other candidate;

(b) The information, which a candidate may furnish in a manifesto or circular regarding himself, shall not differ in any material respect from the information furnished by the Institute to the voters under rule 9. A candidate may, however, include in such manifesto or circular, any additional information not contained in the information furnished under rule 9;

(c) A manifesto or circular shall neither contain any appeal to the voters on the basis of caste or on communal, religious, regional or sectional lines nor any tall claim;

(d) The distribution of a manifesto or circular shall be restricted only to the members of the constituency concerned;

(e) A certified copy of such manifesto or circular shall be sent to the Returning Officer by speed/registered post within 15 days of its issue;

(f) While a candidate may repeat, in any form, the manifesto or circular issued under sub-rule (2) of this rule without changing its contents, however, he shall not issue more than one manifesto or circular.

(4) A member shall not adopt one or more of the following practices with regard to the election to the Council, namely :-

(i) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise of any gifts or gratification to

any person by a candidate or any other person, with his connivance, with the object directly or indirectly of :-

- (a) inducing a member to stand or not to stand as a candidate at an election or rewarding him for act or omission; or
- (b) inducing to withdraw his candidature or rewarding such withdrawal; or
- (c) inducing a voter to vote or not to vote at an election, or as a reward for act or omission;

Explanation - For the purpose of this clause, the term "gratification" is not restricted to pecuniary gratification or gratifications estimable in money, and it includes organising parties or providing any other form of entertainment, and all forms of employment for reward; but it does not include the payment of any expenses bonafide incurred at or for the purpose of any election.

(ii) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or any other person, with his connivance, with the free exercise of any electoral right;

(iii) The publication by a candidate or by any other person, with his connivance, of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate or in relation to the candidature or withdrawal of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election;

(iv) The obtaining or procuring or abetting, or attempting to obtain or procure, by a candidate or by any other person, with his connivance, any assistance for the furtherance of the prospects of the candidate's election from any person serving under the Government of India or the Government of any State, other than the giving of vote by such person, if he is a member entitled to vote;

(v) The hiring or procuring, whether on payment or otherwise, of a vehicle by a candidate or by any other person, with his connivance, for the conveyance of voters;

(vi) Resorting to disorderly behaviour or misbehaviour within the zero tolerance zone to be determined by the Returning Officer of the polling booth and/or venue for counting of votes;

Explanation. - For the purpose of this clause, canvassing for votes, distribution of visiting cards, pamphlets, manifestos, letters, hand-outs, circulars and the like, erection of any stall and display of any banner shall be treated as disorderly behaviour/misbehaviour.

(vii) Exhibiting or placing any notice or sign board relating to the election by a candidate or by any other person with the connivance of the candidate at any time and any where during the election period including on the date/s of polling within a distance of 200 meters from the polling booth;

(viii) Non-compliance with any of the directives or circulars or instructions issued by the Returning Officer under these Rules in any matter relating to elections;

- (ix) Contesting the election representing a political party or on political lines;
- (x) Any act specified in clauses (i) to (ix) when done by a member, who is not a candidate, but is acting with the concurrence or connivance of a candidate;
- (xi) The receipt by a member or an agreement by a member to receive any gratification:-
- (a) as an inducement or reward for standing or not standing as a candidate; or
 - (b) as an inducement or reward for withdrawing his candidature; or
 - (c) as an inducement or reward for himself or any other person for voting or refraining from voting; or
 - (d) as an inducement or reward for inducing or attempting to induce any voter to vote or refrain from voting; or
 - (e) inducing or attempting to induce any candidate to withdraw his candidature;
- (xii) Contravention or misuse of any of the provisions of these Rules or making of any false statement knowing it to be false or without knowing it to be true, while complying with any of the provisions of these Rules.

Schedule 1

Regional Constituencies

(see rule 3)

The electorate for the purpose of election to the Council, shall be constituted into four regional constituencies as follows:

i) **Western India Regional Constituency :-**

Comprising the States of Chattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

ii) **Southern India Regional Constituency :-**

Comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry;

iii) **Eastern India Regional Constituency :-**

Comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura and West Bengal and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;

iv) **Northern India Regional Constituency :-**

Comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttaranchal and Uttar Pradesh and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.

Schedule 2**List of Voters**

(see sub-rule (1) to (6) of rule 6)

- (1) The list of voters shall be prepared separately for each regional constituency.
- (2) The list so prepared under clause (1) above shall show distinctly and separately:-
 - (i) whether the voter is an associate or a fellow;
 - (ii) the address of each member as determined under rule 5 for deciding the eligibility of the member to vote;
 - (iii) in the case of voters residing outside India, in addition to their address in India under clause (ii), their respective addresses outside India if furnished to the institute by the voters concerned;
 - (iv) details of internet address/e-mail address as furnished by a voter to the Institute, provided an express consent is given by the voter for its inclusion in the list of voters;
 - (v) the manner in which the voter shall exercise his franchise; and
 - (vi) in case the voter is to exercise his franchise at a polling booth, the number and address of the polling booth, at which the franchise shall be exercised.
- (3) In respect of a place having more than one polling booth located at different addresses, the Returning Officer shall do the following to decide the polling booth to be published in the list of voters vide sub-clause (vi) of clause (2) above:
 - (i) He shall publish a notice containing the addresses of different polling booths at a place where there are more than one polling booth, at least two months before publication of the list of voters, in the Journal of the Institute and the Newsletter of the Regional Council concerned, and also upload the same on the Institute's website;
 - (ii) Any voter in such a place wishing to vote at a particular polling booth published under clause (i) above may send a request to the Returning Officer within one month from the date of publication of such a notice;
 - (iii) The Returning Officer may, at his discretion, permit such a voter to vote at the polling booth of his choice, and accordingly include the details of the said polling booth in the List of Voters;
 - (iv) In case it is not possible for the Returning Officer to permit a voter to vote at the polling booth requested, the Returning Officer may decide to permit him to vote at any other polling booth at the place and accordingly include the details of the said polling booth in the List of Voters;

3648 GI/06-7

Schedule 3

Number of members to be elected

(see rule 8)

(1) Subject to provision of clause (5) below, the number of members to be elected from each regional constituency shall be one member for such number of members in the constituency as may be determined by dividing the total number of members as determined in accordance with clause (4) below by the maximum number of members to be elected to the Council as provided in sub-section (2) of section 9 of the Act.

(2) In case the resultant number of members for each constituency, after being added up in terms of the absolute number without considering the fraction, is less than the maximum number as provided in sub-section (2) of section 9 of the Act, the fraction in respect of the region with the highest fraction will be counted as one. In case the total is still less than the maximum number, the fraction in respect of the region with the next highest fraction will be counted as one. This process be continued, subject to provision of clause (5) below, until the total is equal to the maximum number of members to be elected under sub-section (2) of section 9 of the Act.

(3) In case the resultant number of members for each constituency, after being added up, is less than the maximum number of members and there are more than one regional constituency with exactly the same fraction, the constituency with a higher number of the members will have precedence in the matter of conversion of the fraction into one, subject to provision of clause (5) below.

(4) The total number of members referred to in clause (1), shall be determined with reference to the number of members in the list of members published under sub-section (3) of section 19 of the Act in the year immediately previous to the year in which the election is to take place.

(5) Notwithstanding anything contained in clauses (1) to (3), each constituency shall have at least two persons elected therefrom to the Council.

Schedule 4

Information to be included in the Statement accompanying the Nomination

(see sub-rule (4) of rule 9)

(1) Nomination of a candidate shall be accompanied by a statement signed and verified by the candidate containing following information:

- (a) Name, membership No., Professional Address and voter's serial number as published in the List of Voters;
- (b) Date of birth;
- (c) Whether Fellow and the date on which became Fellow;
- (d) Date of Enrolment as an Associate member;
- (e) Whether citizen of India;
- (f) Whether found guilty of any professional or other misconduct and consequently whether he has been reprimanded or the name has been removed from the Register or has been awarded penalty of fine as on the date of nomination;

- (g) If the answer to (f) above is in affirmative, to provide the following details, wherever applicable (separately for each misconduct for which found guilty):
- (i) the offence for which found guilty
 - (ii) the date of reprimand
 - (iii) the date from which the name was removed on account of above disqualification from the Register
 - (iv) the total period of removal
 - (v) the date on which the period of removal expires
 - (vi) whether the removal was on account of misconduct falling under the First Schedule or the Second Schedule
 - (vii) the date on which the penalty of fine was awarded
 - (viii) amount of penalty of fine
 - (ix) the date on which the payment was made for penalty of fine awarded;
- (h) (i) Whether appointed as the auditor of the Institute and, if so, whether a period of three years had already expired after he has ceased to be the auditor of the Institute, along with dates of appointment and cessation as auditor;
- (ii) If that period has not yet expired, the date on which it shall expire;
- (i) Details of past and present membership of the Council including the Office of the President and/or Vice-President of the Institute;
- (j) Whether holding a post under the Central or State Government as defined in sub-rule II to rule 7.

(2) The statement referred to in clause 1 may also contain, at the option of the candidate, information concerning the candidate in respect of the following:

- (a) Academic qualifications (diplomas including post qualification diploma(s) and degrees recognised by Government or Council and membership of professional bodies recognized by the Council);
- (b) Merit awards (limited upto first three positions) in the examinations of recognised universities and the examinations conducted by the Institute.
- (c) Particulars of occupation:-
 - (i) Employment (designation with name of present employer)
 - (ii) Practice (sole proprietor or in partnership including the name of the firm)
 - (iii) Particulars of other occupation/engagement, if not covered by (i) and (ii) above;
- (d) Past and present membership of Regional Councils and Managing Committees of chapters of Regional Councils and office of Chairman, Vice-Chairman, Secretary and or Treasurer in the case of Regional Councils and/or chapters of Regional Councils.

Schedule 5

Particulars of contesting candidates to be included in the final list of valid nominations

(see sub-rule (3) of rule 15)

The final list of valid nominations shall be accompanied by following particulars of contesting candidates to the extent they have been supplied by the candidates under sub-rule (4) of rule 9.:

- (a) Name, membership No., Professional Address and voter's serial number, as published in the List of Voters
- (b) Date of birth
- (c) Whether Fellow and the date on which became Fellow
- (d) Date of Enrolment as an Associate member
- (e) Whether citizen of India
- (f) Whether found guilty of any professional or other misconduct and consequently has been reprimanded or the name has been removed from the Register or has been awarded penalty of fine, as on the date of nomination, with details thereof
- (g) Details of past and present membership of the Council including the Office of the President and or Vice-President of the Institute
- (h) Academic qualifications (diplomas including post qualification diploma(s) and degrees recognised by Government or Council and membership of professional bodies recognised by the Council)
- (i) Merit awards (limited upto first three positions) in the examinations of recognised universities and the examinations conducted by the Institute
- (j) Particulars of occupation:-
 - (i) Employment (designation with name of present employer)
 - (ii) Practice (sole proprietor or in partnership including the name of the firm)
 - (iii) Particulars of other occupation or engagement, if not covered by (i) and (ii) above
- (k) Past and present membership of Regional Councils and Managing Committees of chapters of Regional Councils and office of Chairman, Vice-Chairman, Secretary and/or Treasurer in the case of Regional Councils and or chapters of Regional Councils.

Schedule 6

Procedure for polling at the polling booth

(see rule 29)

1. Identification of voters and Tendered Ballots

(1) Every person claiming to be a voter shall be required to sign the copy of the list of members eligible to vote provided by the Returning Officer and his identity or signature shall be verified by the polling officer in such manner as may be advised by the Returning Officer from time to time.

(2) At any time before a ballot paper is delivered to a person claiming to be a voter, the polling officer may, on his own accord, if he has reason to doubt the identity of the person or his right to vote at the polling booth or if his specimen signatures are not available with the polling officer, and shall, if so required by a candidate or his authorised representative, satisfy himself in any manner as he may deem advisable as to his identity.

(3) If the polling officer is not satisfied as to the identity of the person claiming to be a voter, he may issue a ballot paper to such person but instead of getting the ballot paper inserted in the ballot box, he shall place the same in a separate sealed cover superscribed as "Tendered ballot" and send it to the Returning Officer along with a letter from the person concerned together with his own observations thereon, for the Returning Officer's decision which shall be final and conclusive.

(4) In deciding the right of a person to obtain a ballot paper under this schedule, the Polling Officer at any polling booth may interpret any entry in the list of members eligible to vote so as to overlook merely clerical or printing error, provided that he is satisfied that such person is same as the voter to whom such entry relates.

2. Record to be kept by the polling officer

The polling officer shall, at the time of delivery of the ballot paper place against the name of the voter in the list of members eligible to vote, a mark to denote that the voter has received a ballot paper.

3. Ballot Box

The ballot box shall be so constructed that a ballot paper can be inserted there into during the poll but cannot be withdrawn therefrom, without the box being unlocked or the seals being broken.

4. Manner of recording of votes after receipt of ballot paper

On receiving the ballot paper, the voter shall forthwith proceed into the secret chamber set apart for the purpose and shall record his vote on the ballot paper in the manner specified in rule 20. He shall thereafter fold the ballot paper, leave the secret chamber and insert the ballot paper in the ballot box provided for the purpose, in the presence of the polling officer

5. Return of Ballot paper by voter

(1) Where a voter, after obtaining a ballot paper, chooses not to vote, he shall return the ballot paper to the polling officer and the ballot paper so returned shall then be marked as "cancelled-returned" and kept in a separate envelope set apart for the purpose and a record shall be kept by the polling officer of all such ballot papers.

(2) Where any ballot paper, which was delivered to a voter, is found, with or without any writing thereon, in the secret chamber, it shall be dealt with in accordance with the provisions of sub-clause(1), as if it had been returned to the polling officer.

6. Procedure at the polling booth

(1) A polling booth shall be kept open on the day or days appointed for recording of votes from 8.00 a.m. to 7.00 p.m. unless otherwise directed by the Council.

(2) If the polling at any polling booth cannot take place on the day or days appointed for recording of votes or is interrupted or obstructed by any sufficient cause or the ballot box used at the booth is tampered with or is accidentally or deliberately

destroyed, lost or damaged, the polling officer with the prior approval of the Returning Officer, may adjourn the polling to a subsequent date or the Returning Officer may declare the polling at the booth void and order a fresh polling.

- (3) If a polling is adjourned or declared void under sub-clause (2), the Returning Officer shall, as soon as possible, appoint the place where the polling shall be subsequently conducted and the time, date or dates, as the case may be, for the said polling.
- (4) The place, date or dates and the time of polling appointed under sub-clause (3), shall be notified individually to all the voters affected as well as in the Gazette of India.
- (5) The Returning Officer shall not proceed to count the votes cast at the election until the polling at all the polling booths in that constituency has been completed.
- (6) The polling officer shall close the polling booth at the end of the day, or if the polling is for more than one day, at the end of each day, at the hour appointed under sub-clause (1), and no voter shall be admitted thereto after that hour:

Provided that any voter present in the polling booth before it is closed, shall be entitled to have his vote recorded.

- (7) The polling officer shall, as soon as practicable after the close of the poll or after its close on each day, if the polling is for more than one day, in the presence of any candidates or their authorised representatives who may be present, seal the ballot box or boxes with his own seal and the seals of such candidates or authorised representatives as may desire to affix their seals thereon.

Explanation: Where the polling is conducted over more than one day, the ballot box or boxes used on a day shall be sealed at the end of each day, and a new ballot box shall be used on the next day for the purpose of casting of votes.

- (8) The polling officer shall, at the close of the poll or after its close on each day make up into separate packets:
- (i) the unused ballot papers;
 - (ii) the returned ballot papers;
 - (iii) the tendered votes;
 - (iv) the marked copy of the list of members eligible to vote; and
 - (v) any other paper directed by the Returning Officer to be kept in a sealed cover

and seal each such packet with his own seal and the seals of such candidates or authorised representatives as may desire to affix their seals thereon.

- (9) Where the polling is arranged to take place for more than one day, the polling officer shall arrange for the safe custody of the ballot box and such packets after the end of polling on one day and start of polling on the next day.

- (10) Where the polling is arranged to take place for more than one day, just before the polling booth is opened to the voters on the following day the polling officer shall, in the presence of any candidates or their authorised representatives who may be present,

remove the seal or seals affixed in accordance with sub-clause (8), after the seals are examined by him and by the candidates or authorised representatives, for use during the course of that day.

(11) The ballot box and packets, referred to earlier, shall be accompanied by an account of ballot papers showing the total number of ballot papers received, issued and un-issued, returned, as also the number of ballot papers which should be found in the ballot box and packets. This account shall be forwarded to the Returning Officer.

7. **Transport of ballot boxes etc. and their custody**

(1) The Returning Officer and the polling officer shall make adequate arrangements for the safe custody of the ballot boxes and other papers and for the safe transport to the headquarters of the Institute of all the packets or boxes and other papers referred to in rule 6.

(2) The Returning Officer shall be responsible for the safe custody of the articles referred to in sub-clause (1), until the commencement of the counting of votes.

Schedule 7

Procedure for polling by post

(see rule 30)

1. **Returning Officer to send ballot papers by post**

Not less than twenty one days before the last date and time notified for receipt of ballot papers by post, the Returning Officer shall send by Speed or registered post to the voters permitted to vote by post, the ballot paper, together with a letter explaining the manner in which the vote shall be recorded thereon, the manner in which the recorded ballot papers shall be returned and specifying the date and hour by which it shall reach the Returning Officer:

Provided that in the case of voters residing outside India, the ballot papers shall be sent by speed or registered post at least thirty days before the last date and time notified for receipt of ballot papers by post.

2. **Issue of undelivered and fresh ballot papers**

Where a ballot paper and other connected papers sent by post under sub-clause (1) are damaged in transit or are for any reason returned undelivered or the Returning Officer is satisfied that the ballot papers have been sent incorrectly by post, the Returning Officer may reissue the same by speed or registered post or deliver them to the voter on his applying for the same, and submitting sufficient proof of damage or non-delivery.

3. **Postal Ballot papers to be returned after recording votes**

(1) The postal ballot paper received under clause 1 above shall, if he desires to vote, be returned by the voter, in the manner mentioned herein below:-

- (a) for a voter residing within India, after recording his vote thereon in the manner specified in rule 20 and in the pre-stamped envelope provided for the purpose and in the manner specified by the Returning Officer under clause 1 from the place to which the ballot paper was sent by the Returning Officer under clause 1 so as to reach the Returning Officer before the date and time specified in this behalf. The cover containing the recorded ballot paper shall be accompanied by a declaration of the voter in the approved Form;
- (b) for a voter residing outside India, after recording his vote thereon in the manner specified in rule 20 and by ordinary post or speed or registered post and in the manner specified by the Returning Officer under clause 1 but from the country to which the ballot paper was sent by the Returning Officer under clause 1 so as to reach the Returning Officer before the date and time specified in this behalf. The cover containing the recorded ballot paper shall be accompanied by a declaration of the voter in the approved Form;
- (2) A cover containing ballot paper which does not reach the Returning Officer either in the manner specified by him under clause 1 on or before the date and time specified shall not be taken into consideration in the counting of votes. The Returning Officer shall note on all such covers the manner in which each was received back by him including use of the envelope other than the one provided for the purpose, dispatch by a mode other than required mode and the date and time of receipt and keep all such covers together in a packet.
- (3) In regard to covers where the postal stamp of place of posting is not clear or decipherable, the decision taken by the Returning Officer on ascertaining or determining the place or country from which the cover containing the ballot papers is sent shall be final.
- (4) The Returning Officer shall disregard all covers containing the voting papers relating to two or more members and posted in one and the same envelope.
- (5) If the signature of the voter as appended in the envelope and Form referred to in clause (3) of this schedule does not tally with any of his signature as available in the Institute's records, the Returning Officer shall disregard such cover containing the voting paper.
- (6) The Returning Officer shall keep in safe custody all covers containing postal ballot papers received by him until commencement of the counting of votes.

Schedule 8:

Procedure for counting of votes and declaration of results

(See rule 35)

1 Definitions

For the purposes of this schedule, unless the context otherwise requires:

- (a) "continuing candidate" means any candidate not elected and not excluded from the poll at any given time at the time of counting;
- (b) "exhausted paper" means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate at the time of counting;

Provided that a paper shall also be deemed to be exhausted in any case in which:-

- (i) the names of two or more candidates, whether continuing or not, are marked with the same figure and are next in order of preference; or
 - (ii) the name of the candidate next in order of preference, whether continuing or not, is marked by a figure not following consecutively after some other figures on the ballot paper or by two or more figures;
- (c) "First preference" means number 1, "second preference" means number 2 and "third preference" means number 3 (in Arabic or Roman numerals or in words) as the case may be, set opposite the name of any candidate, and so on;
- (d) "original vote" in regard to any candidate means a vote derived from a ballot paper on which a first preference is recorded for such candidate;
- (e) "transferred vote" in regard to any candidate means a vote, the value or part of the value of which is credited to such candidate at the time of counting and which is derived from a ballot paper on which a second or subsequent preference is recorded for such a candidate;
- (f) "surplus" means the number by which the value of the votes of any candidate, original or transferred, exceeds the quota at the time of counting;
- (g) "unexhausted paper" means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate.

2. Counting of votes

(1) On the date and at the time and place, appointed under rule 32 the Returning Officer shall, for the purpose of counting of votes in respect of a constituency, shall follow the following steps in the order mentioned :-

- (a) (i) open only the covers containing the postal ballot papers received by him in accordance with rule 30 and schedule 7 and shall take out the ballot papers from each cover and shall record the number thereof in a statement; and shall make a separate packet of those ballot papers;
- (ii) set aside the covers containing the ballot papers not received by him in accordance with rule 30 and schedule 7 or in respect of which he has taken a decision under sub-clause (3) of clause 3 of schedule 7:

Provided the Returning Officer shall allow the candidates or their authorized representatives present at the counting a reasonable opportunity to inspect the covers containing the ballot papers received by post for satisfying themselves that they are in order but shall not allow them to handle those covers.

- (b) allow the candidates and their authorised representatives, present at the counting, an opportunity to inspect the ballot boxes and packets received from the polling officers and their seals for satisfying themselves that they are in order; and

(c) proceed as follows :-

(i) If he is satisfied that the ballot boxes and packets which have been received are in order, he shall take up the counting of the ballot papers contained in the ballot boxes.

(ii) If he finds any of the ballot boxes has been tampered with he shall not count the ballot papers contained in such box for the purposes of election and keep a record of such ballot papers separately.

(iii) The ballot boxes found to be in order shall be opened and the ballot papers shall be taken out from them and shall be counted and the number thereof recorded in a statement. To these shall be added the postal ballot papers taken into consideration under sub-clause (1)(a).

(iv) The ballot papers shall be examined and any invalid ballot papers shall be rejected.

(v) Before rejecting any ballot paper, the Returning Officer shall allow each candidate or his representative present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to physically touch or handle it or any other ballot paper.

(vi) The Returning Officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of rubber stamp and shall initial such endorsement.

(vii) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

(viii) He shall divide the remaining ballot papers into parcels according to the first preferences recorded for each candidate.

(ix) He shall then count the number of papers in each parcel.

(2) In complying with clauses hereinafter enacted, the Returning Officer shall :-

(a) disregard all fractions;

(b) ignore all preferences recorded for candidates already elected or excluded from the poll.

(3) For the purpose of facilitating the processes specified in the sub-clauses hereinafter enacted, each valid paper shall be deemed to be of the value of one hundred.

(4) The Returning Officer shall add together the values of the papers in all the parcels and divide the total by a number exceeding by one the number of vacancies to be filled and the quotient increased by one shall be the number sufficient to secure the return of a candidate (hereinafter called the quota).